सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2009-10

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

fo"k; lwph

fof'k"V lkjka'k		1
1-	iLrkouk	5
2-	ik/kk fdLe ijhdj.k dh izxfr	8
2-1	Qly iztkfr;ksa dk vf/kliwphdj.k	8
2-2	ikS/kr fd, x, ,oa tkap x, vkosnu	9
2-3	ubZ fdLeksa dk ijhdj.k	11
2-4	fo|eku fdLeksa dk ijhdj.k	12
2-5	lkekU; Kku dh fdLesa	12
2-6	ijh{k.kksa dh iz{ks= fuxjkuh	13
2-7	ijh{k.k lkjka'k	14
2-8	fof'k"Vrk ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k dsUnz	14
2-9	Hkkjrh; ik/kk fdLe tjuy	16
3-	ik/kk fdLeksa dk jk"Vªh; jftLVj	17
4-	ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj ¼ihihoh vkj ,Qvkj½ ikf/kdj.k dk jk"Vªh; thu cSad	17
4-1	ijhd'r fdLeksa ds chtksa dk e/;kof/k HkaMkj.k	18
4-2	thu cSad esa vYikof/k HkaMkj.k	19
4-3	QhYM thu cSad	19
5-	ubZ Qly izkfr;ksa ds fy, fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k fn'kkfunsZ'kksa dk fodkl	22
5-1	o"kZ 2009&10 ds nkSjku iw.kZ gq, fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k fn'kkfunsZ'k	22
5-2	u, fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k fn'kkfunsZ'kksa ds fodkl ds fy, ifj;kstuk,a	23
6-	vuqla/kku ,oa fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ls lacaf/kr vU; enns	28
6-1	vuqla/kku	28
6-2	fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ls lacaf/kr vU; enns	28
7-	MsVkcsl dk fodkl vkSj bZ-Ml	32
8-	fo/kk;h dk;Z ds fØ;kdyki	33
8-1	lwpuk dk vf/kdkj ds mRrj	33
8-2	fo/kk;h dk;Z ds vU; egRoiw.kZ fØ;kdyki	33
9-	—"kdksa ds vf/kdkj	34
9-1	—"kdksa dh fdLe	34

9-2	jk"Vªh; thu fuf/k	35
9-3	tkx:drk dk;Øe	36
9-4	izdk'ku rFkk vU; fØ;kdyki	40
9-5	vU; laxBuksa ds lkFk lEidZ	41
10-	ikS/kdj.k ls lacaf/kr fdz;kdyki	43
10-1	ikS/kk fdLe vkSj d`"kd vf/kdkj laj{k.k ikS/kdj.k ¼ik-fd-vkS-d`-v-l-½ dh cSBd	43
10-2	oSKkfud lykgdkj lfefr dh cSBd	43
10-3	dk;Øe] fu;kstu vkSj uhfr lfefr dh cSBd	44
10-4	ifj;kstuk eY;kadu lfefr dh cSBd	44
10-5	fons'k Hkze.k	45
10-6	iqLrdky; vkSj fu;e iqfLrdkvksa ¼eSuqvyks½ dk foekspu	46
10-7	ikS/kk ikS/kdj.k Hkou dk fuekZ.k	48
10-8	ekuo lalk/ku fodkl laca/kh fØ;kdyki	48
11-	foÙkh; vk[;k	49
12-	fof'k"V vfrfFk	51

vuqca/k

vuqca/k 1	ikS/kk fdLe vkSj d`"kd vf/kdkj laj{k.k ikS/kdj.k ¼ik-fd-vkS-d`-v-l-½ ds lnL;	52
vuqca/k 2	ekuo lalk/ku dk fooj.k	54
vuqca/k 3	orZeku fof'k"Vrk] ,d#irk ,o LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ dsUnzksa dk foRrh; lgk;rk	56
vuqca/k 4	ifj;kstukvksa dk foRrh; lgk;rk	59
vuqca/k 5	ikS/kk fdLe vkSj d`"kd vf/kdkj laj{k.k ikS/kdj.k ¼ik-fd-vkS-d`-v-l-½ dh lfefr;ka % oSKkfud lykgdkj lfefr	61
	dk;Øe] fu;kstu ,oa uhfr lfefr	63
	ifj;kstuk eY;kadu lfefr	65
	lkfof/kd lfefr % fo|eku fdLe vuq'kalk lfefr	65
vuqca/k 6	—"kdksa dh fdLe ds fof'k"V xq.k	66
vuqca/k 7	foRrh; fooj.k ¼vys[kkifjf{kr½	67

fof'k"V lkjk'k

विश्व में हो रहे विकास तथा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के विनियमों का पालन करने के लिए भारत के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में भारतीय संसद ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पारित किया जिसके लिए 2003 में नियम तैयार किए गए। इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा–3 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ. 1589 (अ) दिनांक 11 नवम्बर 2005 के द्वारा 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' की स्थापना की। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें न केवल प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के हितों व अधिकारों का ध्यान रखा गया है, वरन इसके द्वारा किसानों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि करोड़ों भारतीय किसान बीज सामग्री को खरीदने या उसका आदान–प्रदान करने के लिए एक–दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में एक किसान से दूसरे किसान के मध्य बीज के आदान–प्रदान किए जाने की परम्परा सदियों से चली आ रही है और देश के कुल पारंपरिक बीज का लगभग 80–85 प्रतिशत भाग किसानों को इसी प्रकार आपूर्त किया जाता है। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि छोटे किसानों के हितों और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए, ताकि वे अपने बीज बचाकर रख सकें और उसका उपयोग कर सकें और यही कारण है कि इस संबंध में मार्गनिर्देशक सिद्धांत तय किया गया और वह अस्तित्व में आया। वर्ष 2009–10 के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और इसके द्वारा की गई प्रगति का विवरण आगे के पृष्ठों में दिया जा रहा है।

वर्ष 2009–10 के दौरान 21 अधिसूचित फसल प्रजातियों से संबंधित कुल 568 आवेदन पंजीकरण हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दाखिल किए गए। इनमें से 227 कपास, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, चपाती गेहूं, पटसन और गन्ना जैसी फसलों की नई किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान प्राधिकरण ने चपाती गेहूं की दो नई किस्मों के पंजीकरण हेतु महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी (महिको) को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जिसके लिए आवेदन पहले ही प्राप्त हुए थे। विद्यमान किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों से 297 आवेदन पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए। सभी प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई संतोषजनक ढंग से पूरी करने के पश्चात् 11 फसल प्रजातियों की 123 किस्मों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषक किस्मों के अंतर्गत कुल 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 3 चावल की परंपरागत कृषक किस्मों यथा–इंद्रासन, हंसराज और तिलक चंदन को पंजीकरण प्रदान किया गया। ऐसा करके भारत विश्व का पहला वह देश बन गया है जहां कि कृषक किस्मों को पंजीकरण किया गया है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने वर्ष 2009–10 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के माध्यम से 40 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 20.22 लाख रुपये जारी किए। यह अनुभव किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में किसानों के बीच अब भी उस सीमा तक जागरूकता नहीं

है जहां तक वांछित है और जिससे वे परंपरागत कृषक किस्मों के पंजीकरण की आवश्यकता के महत्व को समझ सकें। जबकि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली 2003 में किसी प्रजाति के पंजीकरण की तिथि से सभी विद्यमान किस्मों के पंजीकरण के लिए 3 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों से प्राप्त हुई अल्प प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ताकि कृषकों तथा कृषक समुदायों को अपनी परंपरागत किस्मों के पंजीकरण का पर्याप्त अवसर सुलभ हो सके।

कुल 27 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर उन्हें भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया गया और 3 फसल प्रजातियों यथा–गन्ना (*सैक्रम* प्रजातियां), अदरक (*ज़िंजीबर ऑफिसिनेलिस*) और हल्दी (*करक्यूमा लौंगा*) को पौधा किस्म पंजीकरण के उद्देश्य से राजपत्र में अधिसूचित किया गया। चौबीस (24) फसल प्रजातियों के पंजीकरण हेतु राजपत्र अधिसूचना के लिए आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित मामला कृषि मंत्रालय में विचाराधीन है।

प्राधिकरण के देशभर में 42 विशिष्टता एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्र हैं और इन्हें प्रजनन, डे. टाबेस सृजन, विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण करने और संदर्भ/उदाहरण किस्मों के प्रगुणन संबंधी कार्यों को चलाने के अधिदेश को पूरा करने के लिए कुल 148.25 लाख रुपये जारी किए गए। इन विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों में विभिन्न फसल प्रजातियों की 123 किस्मों का 2009–10 के खरीफ व रबी मौसमों के दौरान उनकी विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व के लिए मूल्यांकन किया गया।

प्राधिकरण ने बागवानी फसलों, वन्य वृक्षों, औषधीय पौधों तथा रोपण फसलों के पंजीकरण हेतु पहले से ही सक्रिय कदम उठाए हैं। अनेक फसल प्रजातियों यथाः सफेदा (*यूकेलिप्टस* प्रजाति), कैसूरीना (*कैसूरीना इक्वीसेटिफोलिया* और *सी. जुंघुहनियाना*), धनिया (*कोरिएंड्रम सेटाइवम*), पेरिविंकल (*केथारेंथस रोज़ेयस*), ईस. बगोल (*प्लैंटेगो ओवाटा*), सुगंधित गुलाब (*रोज़ा डेमेसेना*), ऑर्किड (*कैम्बिडियम, डेंड्रोबियम* और *वैंडा* प्रजाति), ब्रह्मी (*बैकोपा मोनीएरी*), मैंथोल मिंट या पुदीना (*मेंथा एर्विन्सिस*), अश्वगंधा (*विथानिया सोम्नीफेरा*), नारियल (*कोकस न्यूसीफेरा*), कसावा (*मेनिहॉट एस्कूलेंटा*), शकरकंद (*आइपोमिया बटाटास*), काजू (*एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल*) तथा रबड़ (*हैविया ब्रेसिलेंसिस*) के लिए डीयूएस विवरणों का विकास अग्रिम अवस्था में है। वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों, नामतः सेब (*मैलस प्यूमिला*), नाशपाती (*पाइरस कम्युनिस*), बादाम (*प्रूनस डल्किस*), अखरोट (*जुगलांस रैगिया*), चैरी (*प्रूनस* प्रजाति), खुबानी (*प्रूनस आर्मेनिआका*), नींबू (*सिट्रस औरेंटिफोलिया*), मेंडारिन संतरा (*सिट्रस रेटिकुलेटा*), संतरा (*सिट्रस साइनेंसिस*), केला (*मस्का पैराडिसिआका*), लीची (*लीची चाइनेंसिस*), अमरूद (*सीडियम गुआजावा*), बांस (*बैम्बूसा ट्यूल्डा* और *डैंड्रोकैलेमस हैमिल्टोनी*), हिमालयी चीड़ या देवदार (*सैड्रस डियोडारा*), हिमालयी लंबी पत्ती वाला चीड़ (*पाइलस रॉक्सीबर्गी*), लौकी (*लैगीनेरिया सिन्सेरेरिया*), करेला (*मोमॉर्डिका चेरंशिया*), खीरा–ककड़ी (*क्यूक्यूमिस सेटाइवस*), कद्दू (*कुकरबिटा मॉस्किटा*), चिचिंडा (*ट्राइकोसैंथस डाइओका*) के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा उनके सत्यापन के लिए अनेक परियोजनाएं भी चल रही हैं। उपरोक्त संदर्भित फसलों के लिए दिशानिर्देशों के अगले दो–तीन वर्षों में पूरे हो जाने की आशा है।

पौधाकिस्म पंजीकरण मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जा रहा है जिसे दो नई, तीन कृषक किस्मों तथा बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित 163 विद्यमान किस्मों के रूप में वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत करके अद्यतन किया गया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉ. एम.पी.नायर की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया जिसने विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में 22 प्रबलित क्षेत्रों (हॉट–स्पॉट) की पहचान की है। इस कार्यबल की रिपोर्ट पुस्तक के रूप में दो खंडों में प्रकाशित हुई है जिसका विमोचन 19 अगस्त 2009 को एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई में आयोजित एक समारोह में माननीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जय राम रमेश ने किया। दो खंडों की यह पुस्तक देसी कृषि जैव–विविधता के प्रभुत्ता संपन्न अधिकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करेगी। 'गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज एंड मेंटिनेस ऑफ रजिस्टर्ड प्लांट वैराइटीज़ इन द नेशनल ज़ीन बैंक' नामक नियम–पुस्तिका तथा 11 तिलहनी और 10 बागवानी फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विमोचन 21 दिसम्बर 2009 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक समारोह में किया गया। 2009–10 और उसके बाद 'पौधा जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' देने के लिए दिशानिर्देश एवं क्रियाविधियों को निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपये के अधिक से अधिक 5 पुरस्कार प्रत्येक को दिए जाने हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय जीन निधि में उपलब्ध धनराशि से दिए जाएँगे।

निश्चित अंतराल पर प्राधिकरण की तीन बैठकें आयोजित हुईं जिनमें नव–सृजित पदों हेतु नियम निर्धारित करने, पौधा जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार देने, कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, प्राधिकरण का नया परिसर निर्मित करने और प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। प्राधिकरण को तकनीकी, प्रशासनिक और विधिक मुद्दों में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वैज्ञानिक सलाहकार समिति, कार्यक्रम, नियोजन तथा नीति समिति, परियोजना मूल्यांकन समिति तथा विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति गठित की गईं थीं जिनकी बैठकें यथोचित समय पर आयोजित की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 6 निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की गईं :

i) सामान्य जानकारी की किस्मों और कृषक किस्मों के लिए डीयूएस मानदंड (राजपत्र अधिसूचना सं.सा.का. नि. 452 (अ) दिनांक 29 जून 2009)

ii) वार्षिक शुल्क (राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ. 2182(अ) दिनांक 26 अगस्त 2009)

iii) उन नई किस्मों तथा विद्यमान किस्मों के लिए पंजीकरण शुल्क जिनके विषय में सामान्य ज्ञान है (राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 319 (अ) दिनांक 11 मई 2009 और भारत के राजपत्र में 13 मई 2009 को प्रकाशित)

iv) कृषकों किस्मों की पंजीकरण अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना (राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 783 (अ) दिनांक 27 अक्तूबर 2009)

v) पंजीकरण हेतु धारा 29(2) के अंतर्गत गन्ना, अदरक और हल्दी की फसल अधिसूचनाएं (राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1874(अ) दिनांक 27 जुलाई 2009)

vi) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नए सदस्यों का नामांकन (राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 3064 (अ) दिनांक 30 नवम्बर 2009)

प्राधिकरण का विधायी प्रकोष्ठ, प्राधिकरण तथा रजिस्ट्रार को विभिन्न कार्यवृत्तों पर विधिक सलाह देता है तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में परामर्श प्रदान करता है, विभिन्न अदालतों में मुकदमों में बचाव करता है, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना से संबंधित उत्तर देता है तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नियमावली, 2003 की व्याख्या करते हुए उन्हें लागू करने में सहायता पहुंचाता है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस. नागराजन के नेतृत्व में एक अधिकारिक प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2009 की अवधि के दौरान सयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण स्थलों, अनुसंधान केंद्रों, बीज प्रमाणीकरण केंद्रों, यूएस में सहकारिताओं तथा यूएस पीटीओ का दौरा किया। सब्जी (सब्जियों), व्यावसायिक प्रजातियों (कपास) तथा अन्य फसलों से संबंधित विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण प्रक्रियाओं जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस प्रतिनिधि मंडल ने ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी एकेडमी (यूएस पेटेंट तथा ट्रेडमार्क कार्यालय), एलेक्ज़ेंड्रिया में चलाए जा रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। रजिस्ट्रार (बागवानी) डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने दिनांक 8–10 सितम्बर 2009 को रोम (इटली) में आयोजित द्वितीय विश्व बीज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, पहुंच की बहु प्रणाली के संदर्भ में पादप आनुवंशिक संसाधनों की उपलब्धता, बीज गुणवत्ता के निर्धारण का महत्व तथा अंर्तराष्ट्रीय बीज व्यापार जैसे मुद्दे प्रमुख थे।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्राधिकरण का कुल बजट परिव्यय 653.33 लाख रुपये था जिसमें से 117.33 लाख रुपये की राशि वह थी जो पिछले वर्ष से अवशेष थी। प्राधिकरण ने इस निधि का उपयोग विभिन्न घटकों जैसे आवर्ती और अनावर्ती व्यय, विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केंद्रों को सबल बनाने, फसलों के लिए परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने, फील्ड जीन बैंक स्थापित करने, जागरूकता कार्यक्रम चलाने, परामर्श सेवाओं आदि के लिए किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने अधिदेशित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप चलाने हेतु अलग–अलग शीर्षों के अंतर्गत कुल 638.39 लाख रुपयों का उपयोग किया। विभिन्न शीर्षो जैसे आवेदन शुल्क, वार्षिक शुल्क, योगदान शुल्क तथा अन्य के अंतर्गत कुल 23.23 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई।

ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj lj{k.k ikf/kdj.k okf"kd fjikVZ 2009&10

1- iLrkouk

कृषकों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 लागू किया। इसके पश्चात् इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्राधिकरण की स्थापना की जिसे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना गया। इस प्राधिकरण को उपरोक्त नाम से एक निकाय के रूप में प्राधिकार प्राप्त है और सामान्य सील के साथ संपत्तियों को अधि ाग्रहित करने, बनाए रखने और उनके निपटान का अधिकार है जिसके अंतर्गत चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं। अपनी स्थापना के समय से अब तक प्राधिकरण नई दिल्ली स्थित एनएएससी परिसर में आबंटित निर्धारित परिसर में कार्य कर रहा है।

अधिनियम में *'सू जेनेरिस'* दृष्टिकोण अपनाया गया है और यह इस दृष्टि से विशेष है कि इसमें प्रजनकों, किसानों तथा अनुसंधानकर्ताओं, तीनों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब कृषकों के अधिकार की बात आती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कृषक को खेती करने वाले, संरक्षक और प्रजनक की मान्यता दी गई है। इस अधिनियम में कृषकों के लिए अनेक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीजों को प्राप्त करने के लिए अधिकार से संबंधित है और साथ ही फसल के असफल हो जाने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है। अब तक भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां किसानों को इस सीमा तक अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम लागू किया गया है।

इसके अतिरिक्त पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रजनकों अथवा उसके उतराधिकारियों, एजेंट या लाइसेंसी को किस्म उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, उसे वितरित करने तथा उसके आयात या निर्यात का एकाधिकार प्रदान करता है। प्रजनक को अपनी किस्म के किसी भी अन्य पक्ष द्वारा गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने के विरुद्ध प्रावधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है और ऐसा आवेदन दाखिल किए जाने तथा पंजीकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की अवधि के दौरान भी बनाए रखने का प्रावधान है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम अनुसंधानकर्ता को प्रयोग या अनुसंध ाान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी किस्म के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के उपयोग का अधिकार भी प्रदान करता है। तथापि, पैतृक वंशक्रम के रूप में ऐसी किस्म का बार–बार उपयोग करने के लिए पंजीकृत किस्म के प्रजनक से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व के मुख्य सिद्धांतों को अपनाते हुए पौधा किस्मों (सूक्ष्मजीवों को छोड़कर) की सुरक्षा के लिए एक वृहत और प्रभावी प्रणाली अपनाई गई है, किसी भी समय संरक्षण हेतु पादप प्रजनकों और कृषकों के योगदान संबंधी अधिकारों को शामिल किया गया है और नई पौधा किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों को सुधारने व उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम पौधों की नई किस्मों को उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार की सुरक्षा से बीज उद्योग की प्रगति में भी सुविधा प्राप्त होती है जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएसी) डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली से कार्यशील है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त 15 सदस्य हैं जो निम्नानुसार हैं। वर्तमान सदस्यों की सूची अनुबंध–1 में दी गई है।

- कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, पदेन;
- उप महानिदेशक (फसल विज्ञान का प्रभारी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, पदेन;
- संयुक्त सचिव (प्रभारी बीज), भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, पदेन;
- बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, पदेन;
- निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली, पदेन;
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च पद का एक सदस्य जो जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो, पदेन;
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च पद का एक सदस्य जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो, पदेन;
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च पद का एक सदस्य जो विधि, न्याय तथा कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो, पदेन;
- राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के कृषक संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;
- जनजातीय संगठन से एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;
- बीज उद्योग का एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;
- कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;
- कृषि क्रियाकलापों से सम्बद्ध राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के महिला संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;
- राज्य सरकारों द्वारा रोटेशन के आधार पर नियुक्त किए गए दो प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो;

महा पंजीकार प्राधिकरण का पदेन सदस्य–सचिव होता है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने वैज्ञानिक सलाहकार समिति; परियोजना मूल्यांकन समिति और कार्यक्रम, नियोजन एवं नीति समिति का गठन प्राधिकरण को तकनीकी, प्रशासनिक एवं वैधानिक मामलों में परामर्श एवं सहायता करने के लिए किया है (अनुबंध–5)।

सात सदस्यों वाली एक विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति का गठन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली 2006 के धारा 6 के अनुसार किया गया है। यह समिति विद्यमान किस्मों (बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित) संबंधी आवेदनों की विस्तार में तथा सभी बिन्दुओ से जांच करने और संबंधित मुद्दों पर रजिस्ट्रार को परामर्श देने के लिए समय–समय पर बैठकें आयोजित करती है।

धारा 45, उप–धारा 2(ग) जिसे नियम 70, उप नियम 2(क) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा, सुधार और संरक्षण में जुटे आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों को सहायता पहुंचाने और पुरस्कृत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, विशेषकर जैव–विविधता वाले हॉट–स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों व कृषक समुदायों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं।

इस प्रावधान को लागू करने की दृष्टि से सामुदायिक कृषि जैव–विविधता संरक्षण पुरस्कार हेतु कार्यदल का गठन भारत सरकार के जैव–प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व सचिव डॉ. (श्रीमती) मंजू शर्मा की अध्यक्षता में

किया गया जिसके सदस्य केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों आदि से लिए गए। कार्यदल ने 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों' को वित्त वर्ष 2009–10 से आरंभ करने की अनुशंसा की।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किस्मों के अनुरक्षण एवं पंजीकरण हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचित फसलों की संदर्भ/उदाहरण किस्मों के प्रगुणन के लिए 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के लिए केन्द्रीय सैक्टर की स्कीम' के अंतर्गत देशभर में विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की है, ताकि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस विवरणों के पंजीकरण सृजन हेतु डेटाबेस तैयार किया जा सके। इस डेटाबेस को 'इंडियन इंफोर्मेशन सिस्टम, ऐज़ पर विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व अथवा IINDUS 8.0 डेटाबेस के रूप में अद्यतन किया गया है। इसके अतिरिक्त विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केंद्रों पर प्रत्याशी किस्मों के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण किए जाते हैं, विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़े रिकार्ड किए जाते हैं और अगली कार्रवाई के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को अग्रेशित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने अधिसूचित फसलों के लिए संदर्भ/उदाहरण किस्मों का कम्प्यूटर डेटाबेस सृजित किया है जिसे प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा विद्यमान/अधिसूचित किस्मों के प्रलेखन के लिए 'इंडियन इंफोर्मेशन सिस्टम पर डीयूएस (IINDUS) और 'नोटिफाइड एंड रीलिज्ड़ वैरायटीज़ ऑफ इंडिया' (NORV) नामक सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। यह कार्य राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो तथा मैसर्स बिड़ला सॉफ्ट इंडिया प्रा.लि. से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया गया है तथा यह IINDUS VERSION 08.1 के रूप में है तथा इससे आवेदनों को छांटने व उन पर कार्रवाई करने में बहुत सहायता मिलती है।

ikf/kdj.k d egRoi.k dk;l fuEu fp= }kjk n'kk, x, g

ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj lj{k.k ikf/kdj.k dk dk;l fp=

2- ik/kk fdLe ithdj.k e ixfr

2-1 Qly itkfr;k dh vf/klpuk

वर्ष 2009–10 के दौरान 27 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देश भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए और इनमें से तीन फसल प्रजातियां यथाः गन्ना, अदरक और हल्दी को अधिसूचना संख्या एस.ओ.1874 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया (सारणी 1) ।

lkj.kh 1- o"k 2009&10 d nkjku vf/klfpr Qly itkfr;k

Ø-l-	vxth uke	fgUnh@LFkkuh; uke	okuLifrd uke
1.	सूगरकेन	गन्ना	*सैक्रम* एल.
2.	ज़िंजर	अदरक	*ज़िजीबर ऑफिसिनेल* रोस्क.
3.	टर्मरिक	हल्दी	*करक्यूमा लौंगा* एल.

वर्ष 2009–10 के दौरान अधिसूचित की गईं तीन फसल प्रजातियों के अतिरिक्त निम्नलिखित 24 फसल प्रजातियों (सारणी 2) को अधिसूचित करने से संबंधित प्रस्ताव कृषि मंत्रालय को भेजे गए हैं और इसके बाद प्राधिकरण इनके आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ करेगा।

lkj.kh 2- jkti= vf/klpuk ifd;k d vrxr d"k e=ky; e fopkjk/khu Qly itkfr;k

Ø-l-	vxth uke	fgUnh@LFkkuh; uke	okuLifrd uke
1.	ब्लैक पैपर	काली मिर्च	*पाइपर नाइग्रम* एल.
2.	स्माल कार्डमम	छोटी इलायची	*इलेटेरिया कार्डेमोमम* मैटन
3.	इंडियन मस्टर्ड	सरसों	*ब्रैसिका जुंसिया* एल. ज़र्न एंड कॉस
4.		करन राई	*ब्रैसिका कैरिनाटा* ए.ब्राउन
5.	रेपसीड	तोरिया	*ब्रैसिका रापा* एल.
6.		गोभी सरसों	*ब्रैसिका नैपस* एल.
7.	सनफ्लावर	सूरजमुखी	*हैलिएंथस एनस* एल.
8.	सैफ्लावर	कुसुम	*कार्थेमस टिंक्टोरियस* एल.
9.	कैस्टर	अरण्डी	*रिसिनस कम्यूनिस* एल.
10.	सीसेम	तिल	*सिसिमम इंडिकम* एल.
11.	लिनसीड	अलसी	*लिनम यूसिटेटिसिमम* एल.
12.	ग्राउंडनट	मूंगफली	*एरेकिस हाइपोजिया* एल.
13.	सोयाबीन	सोयाबीन	*ग्लाइसीन मैक्स* (एल.) मैरिल
14.	रोज	गुलाब	*रोज़ा* प्रजातियां एल.
15.	पोटेटो	आलू	*सोलेनम ट्यूबरोसम* एल.
16.	ब्रिंजल / एगप्लांट	बैंगन	*सोलेनम मैलोन्जेना* एल.
17.	टोमेटो	टमाटर	*लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम* (एल.) कार्स्टेन एक्स. फार्व.

Ø-l-	vxzsth uke	fgUnh@LFkkuh; uke	okuLifrd uke
18.	ओकरा/लेडीस फिंगर	भिण्डी	*एबलमॉस्कस एस्क्यूलैंटस* एल. मोयंक
19.	कॉलीफ्लावर	फूलगोभी	*ब्रैसिका ओलिरेसिया* एल. किस्म बोट्राइटिस
20.	कैबेज	पातगोभी	*ब्रैसिका ओलिरेसिया* एल. किस्म कैपिटाटा
21.	ओनियन	प्याज	*एलियम सैपा* एल.
22.	गार्लिक	लहसुन	*एलियम सटाइवम* एल.
23.	क्राइसैंथमम	गुलदाउदी	*क्राइसेंथमम* एल.
24.	मैंगो	आम	मैंगीफेरा इंडिका एल.

2-2 ikIr fd, x, vkj tkp x, vkonu

वर्ष 2009–10 के दौरान विभिन्न फसलों की किस्मों के पंजीकरण हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में कुल 568 आवेदन (सारणी 3) दाखिल किए गए जिनमें से 227 नई किस्मों के, 297 विद्यमान किस्मों के और 44 कृषक किस्मों के थे। प्राधिकरण में चार पौधा कुलों यथाः पोएसी (चपाती गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और गन्ना); फैबेसी (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा, मटर); मालवेसी [कपास (4 प्रजातियां) और टिलिएसी [पटसन (2 प्रजातियां)] की फसलों के लिए पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

सर्वाधिक आवेदन (266) पोएसी कुल की प्रजातियों के थे जिनमें विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें आती हैं, 259 आवेदन मालवेसी कुल के थे और फेबेसी कुल के 38 आवेदन तथा टिलिएसी कुल के 5 आवेदन प्राप्त हुए।

lkj.kh 3- o"k 2009&10 d nkjku ikIr ik/kk fdLeksa d iathdj.k d vkonu

Ø-l-	Qly	ikIr vkonuksa dh l[;k			
		ubl	fo|eku	d"kd	dy
1.	चावल	41	24	33	98
2.	मक्का	33	21	–	54
3.	चपाती गेहूं	2	2	6	10
4.	तूर/अरहर	11	2	2	15
5.	बाजरा	18	26	–	44
6.	ज्वार	27	30	1	58
7.	चना	–	–	1	1
8.	मटर	–	1	–	1
9.	राजमा	–	2	1	3
10.	मसूर	–	2	–	2
11.	उड़द	–	3	–	3
12.	मूंग	4	9	–	13

Ø-l-	Qly		ikIr vkonuk dh l[;k			
			ub	fo|eku	d"kd	d|y
13.	कपास (4 प्रजातियां)	87	172	–	259
14.	पटसन	2	3	–	5
15.	गन्ना	2	–	–	2
	;kx	227	297	44	568

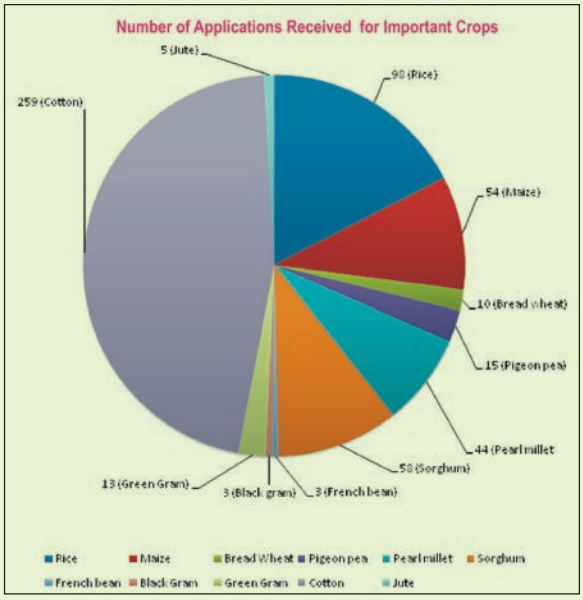

ikIr vkonuk dh l[;k ¼J.khokj½

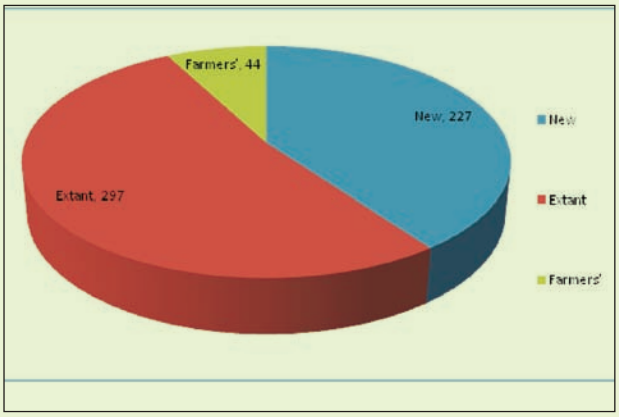

2-2-1 ub fdLe

नई किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत कुल 227 आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक आवेदन कपास के संबंध में प्राप्त हुए (87) जिसके बाद क्रमशः चावल (41) और मक्का (33) का स्थान रहा। चना, बागानी मटर/खेत मटर, राजमा/सेम, मसूर और उड़द की नई किस्मों के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदनों की वांछित सूचना के लिए जांच की गई। जिन प्रत्याशी किस्मों के आवेदकों ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया उनसे निर्धारित शुल्क और प्राधिकरण के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देश में प्रकाशित वांछित मात्रा में बीज सामग्री जमा कराने के लिए कहा गया।

2.2.2 fo|eku fdLe

विद्यमान किस्मों की तीन श्रेणियां हैं, यथाः (i) बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित वे किस्में जिन्होंने 15 या 18 (वृक्ष और लताओं के मामले में) वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की है; (ii) सामान्य जानकारी/ज्ञान की किस्म; और (iii) कृषक किस्म। इन श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु कुल 297 आवेदन प्राप्त हुए। इस अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2006 के धारा 6 के अनुसार प्राधिकरण ने कुछ मानदंडों के आधार

पर इन किस्मों की पंजीकरण की उपयुक्तता के संबंध में रजिस्ट्रार को परामर्श देने के लिए विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) का गठन किया।

2.2.3 fo|eku fdLe vuq'kalk lfefr ¼bZohvkjlh½ dh vuq'kalk,a

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों की जांच करने और इस संबंध में अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. आर.बी.सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति का गठन किया। वित्त वर्ष के दौरान विचार किए जाने के लिए लाए गए विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए दिनांक 20.05.2009, 30.06.2009, 10.08.2009 तथा 15.01.2010 को चार बैठकें आयोजित की गईं। अट्ठारह फसल प्रजातियों से संबंधित विद्यमान किस्मों (बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित) से संबंधित 94 आवेदन वि.कि. अ.स (ईवीआरसी) के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किए गए और इनमें से 52 आवेदनों (24 चपाती गेहूं के, 06 चावल के, 02 मक्का के, 07 ज्वार के, 04 अरहर के, 18 चने के, 07 खेत मटर के, 02 राजमा के, 04 मसूर के, 02 उड़द के, 04 मूंग के, 11 कपास के और 01 पटसन के) सभी दृष्टि से पूर्ण पाए गए और इनके पंजीकरण की अनुशंसा की गई। अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए, ताकि मामले से संबंधित व्यक्तियों की आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें। इसके पश्चात् अनुशंसित किस्मों के आवेदकों से पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क तथा प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीनबैंक में भंडारण के लिए निर्धारित मात्रा में बीज सामग्री प्रस्तुत करने को कहा गया।

2.3 ubZ fdLeksa dk iathdj.k

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने देश में पहली बार दो नई किस्मों के पंजीकरण के प्रमाण–पत्र जारी किए। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी (महिको) ने पहल की तथा चपाती

vxz.kh cht daiuh efgdks ds ifrfuf/k ekuuh; lkaln ¼jkT; lHkk½ Jh 'kjn tks'kh ls vf/kfu;e ds varxZr iathdr dh xbZ xsgwa dh nks ubZ fdLeksa ds iaek.k i= izkIr djrs gq,A

गेहूं के नरवंध्य और रेस्टोरर वंशक्रमों को पंजीकृत कराया (सारणी 4)। गेहूं की इन दो नई किस्मों के पंजीकरण प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) नई दिल्ली में प्राधिकरण द्वारा 21 दिसम्बर 2009 को आयोजित समारोह में दिए गए और ये प्रमाण–पत्र माननीय श्री शरद जोशी सांसद (राज्य सभा) ने प्रदान किए।

lkj.kh 4- iathd`r ubZ fdLeksa dk fooj.k

Ø-l-	vkond dk uke	Qly iztkfr	fdLe dk uke	fof'k"V xq.k
1.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, मुम्बई	चपाती गेहू (*ट्राइटिकम एस्टिवम* एल.)	डब्ल्यू 6001	नर वंध्य वंशक्रम
2.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, मुम्बई	चपाती गेहू (*ट्राइटिकम एस्टिवम* एल.)	डब्ल्यू 6301	उर्वर वंशक्रम

ekuuh; Jh 'kjn tks'kh] lkaln ¼jkT;lHkk½ Mk- ,l-,l-fla?k] ifj;kstuk funs'kd] xsgw¡ vuqla/kku funs'kky; vkSj Mk- lkbZ nkl] ifj;kstuk funs'kd ¼eDdk½ dks fofHkUu fdLeksa dk iathdj.k izek.k i= iznku djrs gq,

2-4 fo|eku fdLeksa dk iathdj.k

प्राधिकरण ने 11 फसल प्रजातियों यथा चपाती गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, खेत मटर/बागान मटर, राजमा, मसूर और कपास की 123 विद्यमान किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधि निर्धारित करने की सभी औपचारिकताएं संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान जारी किए गए कुल 123 पंजीकरण प्रमाण पत्रों में से 107 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 11 निजी क्षेत्र तथा 5 विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए। इन किस्मों के पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित प्रजनक/संगठन/संस्था को दिए गए।

2-5 lkekU; tkudkjh@Kku dh fdLesa

सामान्य ज्ञान की किस्म के पंजीकरण से संबंधित मानदंडों को प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया तथा इन्हें भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया गया और 30 जून 2009 को जीएसआर 452 (अ) के द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत किस्मों, संकरों और पैतृक वंशक्रमों

के आवेदनों को एक वर्ष के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा। अब तक इस श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार की गई किस्मों का विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण देशभर में विभिन्न विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है।

2-6 ijh{k.kksa dh i{k= fuxjkuh

विभिन्न स्थानों पर 2009–10 के दौरान विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण प्लॉटों की निगरानी के लिए प्रतिष्ठित विषय–वस्तु विशेषज्ञों के नेतृत्व में निगरानी दल गठित किए गए। इनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है (सारणी 5) :

lkj.kh 5- Qly okj vuqlfpr Mh;wl ijh{k.k fuxjkuh ny

Ø-l-	Qly	LFkku	fuxjkuh ny ds urk	fuxjkuh ny ds Hkze.k dh frfFk
1.	चपाती गेहूं	डीडब्ल्यूआर, करनाल, भा.कृ.अ. सं., इंदौर	डॉ. के.ए.नईम, पूर्व अध्यक्ष, भा.कृ.अ. सं. क्षेत्रीय केन्द्र, वेलिंग्टन	29.3.2010 और 30.3.2010 14.3.10 और 15.3.10
2.	चावल	डीआरआर, हैदराबाद, सीआरआरआई, कटक	डॉ. ई.ए.सिद्दिक पूर्व उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.	22.10.09 25.10.09 और 26.109.09
3.	कपास	सीआईसीआर, कोयम्बत्तूर, यूएएस, धारवाड़	डॉ. ए.के.बसु पूर्व निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर	27.11.09 22.10.09
4.	मक्का	डीएमआर, नई दिल्ली आचार्य एन.जी रंगा कृषि वि. वि., हैदराबाद	डॉ. ओ.पी.गोविला पूर्व परियोजना निदेशक (बाजरा)	6.09.09 14.09.09
5.	ज्वार	एनआरसी (ज्वार), हैदराबाद, एमपीकेवी, राहुड़ी	डॉ.ई.ए.सिद्दिक पूर्व उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.	20.08.09 22.08.09
6.	बाजरा	एआईसीआरपी (बाजरा), जोधपुर, एमपीकेवी, राहुड़ी	डॉ. ओ.पी.गोविला पूर्व परियोजना निदेशक (बाजरा)	15.09.09 08.09.09
7.	पटसन	सीआरआईजेएएफ, कोलकाता बुद बुद	डॉ. एच.एस.सेन पूर्व निदेशक, सीआरआईजेएएफ	14.09.09 और 20.01.10 15.09.09 और 21.01.10
8.	चना	आईआईपीआर, कानपुर	डॉ. पी.एन.बहल पूर्व उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.,	19.3.10

निगरानी दलों का उत्तरदायित्व उन विशिष्ट गुणों का सत्यापन करना है जिनका दावा आवेदक ने किया है और इसकी जांच करना है कि परीक्षण पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किए जा रहे हैं अथवा नहीं। विभिन्न निगरानी दलों ने अपनी रिपोर्टें प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी हैं।

2.7 ijh{k.kksa dk lkjka'k

एक सौ बीस (120) किस्मों का उनके विशिष्टता व एकरूपता तथा स्थायित्व संबंधी गुणों के लिए 2009–10 के रबी व खरीफ मौसमों के दौरान विभिन्न केन्द्रों में परीक्षण किया गया (सारणी–6)। इनमें से गेहूं की 01, मक्का की 23, ज्वार की 09, बाजरा की 09, चावल की 08 तथा कपास की 05 प्रविष्टियों ने खेत परीक्षण के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और प्राप्त आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है। 'सामान्य ज्ञान की किस्म' की श्रेणी के अंतर्गत गेहूं की दो किस्मों का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 4 कृषक किस्मों (गेहूं की 02, चावल की 01 तथा चने की 01) का परीक्षण 'ग्रो आउट टेस्ट' के अंतर्गत किया गया ।

lkj.kh 6- mu iztkfr;ksa dh la[;k ftudk
fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k fd;k x;k

Qly@fdLeksa dk uke	[kjhQ 2009	jch 2009&10
ubZ fdLesa		
गेहूं	-	2
मक्का	27	-
ज्वार	15	1
बाजरा	12	-
चावल	8	-
कपास	47	-
पटसन	2	
fo|eku fdLesa ¼lkekU; Kku dh fdLe½		
गेहूं	-	02
d`"kd fdLesa		
गेहूं		02
चावल	01	
चना		01
dqy ;ksx	112	08

2-8 fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ¼Mh;w,l½ ijh{k.k dsUnz

संदर्भ/उदाहरण किस्मों एवं रखरखाव प्रगुणन तथा संबंधित फसलों के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व वर्णन हेतु डेटाबेस तैयार करने के लिए प्राधिकरण ने विभिन्न फसलों के लिए 42 विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों (अनुबंध–3) का रखरखाव किया व उन्हें निधियां प्रदान कीं।

विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण विभिन्न फसलों की नई किस्मों के लिए दो केंद्रों में तथा दो मौसमों में किए जाते हैं। विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण में सम्मिलित कुछ केंद्रों का विवरण यहां दिया गया है।

- **xsgwa vuqla/kku funs'kky;] djuky %** गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर के साथ मिलकर गेहूं पर विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण कर रहा है। यह निदेशालय नोडल केन्द्र है जबकि क्षेत्रीय केन्द्र सह–नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान 2 नई किस्मों, 2 विद्यमान किस्मों (वीसीके) तथा 2 कृषक किस्मों का परीक्षण किया गया। गेहूं अनुसंधान निदेशालय में गेहूं की सभी संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण भी किया जा रहा है।

- ifj;kstuk leUo;u bdkbZ] enkj] tk/kiqj % यह परियोजना समन्वयन इकाई बाजरा पर विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण करने के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्यरत है, जबकि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी सह–नोडल केन्द्र है। वर्ष 2009–10 के दौरान 12 प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया जिनमें से 9 किस्मों ने विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण करने के अतिरिक्त यह नोडल केन्द्र विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित किए गए संदर्भ संकलन के अनुरक्षण के प्रति भी उत्तरदायी है। बाजरा में गांठ संबंधी नोडल तारुण्यता (उपस्थित या अनुपस्थित) में किया गया एक विशिष्ट परीक्षण चित्र में दर्शाया गया है।

ckt jk e fof'k"V ijh{k.k

xkB rk#.;rk % mifLFkr ¼i"iu voLFkk e½

xkB rk#.;rk % vuqifLFkr

- Tokj vuqla/kku funs'kky;] gSnjkckn% ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ज्वार के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है, जबकि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी सह–नोडल केन्द्र है। वर्ष 2009–10 के दौरान इस नोडल केन्द्र में 16 प्रत्याशी किस्मों के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण किए गए। इनमें से 10 किस्मों ने विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र संदर्भ किस्मों का अनुरक्षण भी कर रहा है तथा विभिन्न केन्द्रों से एकत्रित की गई नई संदर्भ किस्मों का गुण–निर्धारण करने के साथ–साथ डेटाबेस में इन किस्मों के आंकड़े शामिल करके उन्हें अद्यतन कर रहा है।

j'kk jtdrk % vuqifLFkr

j'kk jtdrk % mifLFkr

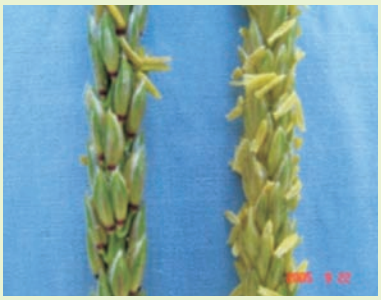

ijkxdk'k jtdrk % vuqifLFkr

ijkxdk'k jtdrk % vuqifLFkr

eDdk d fof'k"V xq.k

- eDdk vuqla/kku funs'kky;] ubZ fnYyh% यह निदेशालय मक्का के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण का नोडल केन्द्र है, जबकि आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय सह–नोडल केन्द्र है। इस केन्द्र में 2009–10 के दौरान 27 प्रत्याशी किस्मों के विशिष्टता, एकरुपता

एवं स्थायित्व परीक्षण किए गए और इनमें से 23 किस्मों ने विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र 24 संदर्भ संकलनों का रखरखाव कर रहा है तथा डेटाबेस में शामिल किए जाने के लिए उनके गुण निर्धारित कर रहा है। गुण–निर्धारण तथा डेटाबेस में शामिल किए जाने के लिए मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा उगाई जाने वाली संदर्भ किस्मों की सूची में एचकेआई 1011, एचकेआई 1105, एचकेआई 1126, एचकेआई 1128, एचकेआई 1342, एचकेआई 1344, एचकेआई 288–2, एचकेआई 295, एचकेआई 323, एचकेआई 327टी, एचकेआई 335, एचकेआई 46, एचकेआई 536, सीएम 145, सीएम 300, सीएमएल 142, विवेक 5, अफ्रीकन टॉल, अम्बर पॉपकॉर्न, माधुरी सम्मिलित हैं। मक्का के कुछ विशिष्ट गुण चित्रों में दर्शाए गए हैं।

- **pkoy vuqla/kku funs'kky;] gSnjkckn %** चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद चावल के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण का नोडल केन्द्र है, जबकि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक को सह–नोडल केन्द्र के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों स्थानों पर कुल 08 नई किस्मों का विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण किया गया और इन सब ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के अतिरिक्त इन केन्द्रों में वर्ष 2009–10 के दौरान चावल की एक कृषक किस्म पर अंकुरण क्षमता परीक्षण (ग्रो आउट टैस्ट) भी किया गया।
- **dsUnzh; dikl vuqla/kku laLFkku] dks;EcVwj %** यह संस्थान कपास के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के नोडल केन्द्र के रूप में कार्यरत है, जबकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर; तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; सह–नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान कपास की 47 किस्मों का परीक्षण किया गया और इनमें से पांच ने दो मौसमों में उगाए जाने से संबंधित अनिवार्य परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र भारत में स्थित विभिन्न केन्द्रों से संदर्भ किस्में एकत्रित करके डेटाबेस में शामिल किए जाने के लिए उनका गुण–निर्धारण कर रहा है। चतुर्गुणित कपास किस्मों के चार तथा द्विगुणित कपास के एक नए जीनप्ररूप का पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार आकृतिविज्ञानी का गुण–निर्धारण किया गया। ये जीनप्ररूप थे : आरएएचएस 14, आरएजेएचएच–769, जेएलए–802, एलएएचएच–5 तथा डीडीएचसी–11। ये आकृतिविज्ञानी गुण केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर में रखे जा रहे डेटा बेस में शामिल किए गए और अधिक मूल्यांकन के पश्चात् इन्हें विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व डेटाबेस में शामिल कर लिया जाएगा।
- **dsUnzh; iVlu ,oa lEc) js'kk vuqla/kku laLFkku] cSjdiqj %** यह संस्थान नोडल केन्द्र के रूप में जबकि बुद बुद स्थित उपकेन्द्र पटसन के विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के लिए सह–नोडल केन्द्र के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2009–10 के दौरान डीयूएस परियोजना के अंतर्गत दो प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण करने के अतिरिक्त इस केन्द्र में *कैप्सूलेरिस* की 13 संदर्भ किस्मों और *ओलिटोरियस* की 06 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है और इनसे संबंधित आंकड़ों को विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया।

2-9 Hkkjrh; ikS/kk fdLe tjuy

भारतीय पौधा किस्म जरनल प्राधिकारण का एक मासिक प्रकाशन है जिसका दर्जा भारत सरकार के गजट के समतुल्य है एवं वर्ष 2009–10 के दौरान इसके 12 अंक प्रकाशित किए गए। नई किस्मों तथा सामान्य ज्ञान की किस्मों से संबंधित 72 आवेदनों के सम्पूर्ण पासपोर्ट आंकड़े विशिष्टता, एकरुपता

एवं स्थायित्व परीक्षण के लिए स्वीकार किए गए और इसी प्रकार विद्यमान किस्मों (बीज अधिनियम, 1966) के अंतर्गत अधिसूचित से संबंधित 93 आवेदनों, जिन्हें विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति ने अधिसूचित किया है, को भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त इस जरनल में जो अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित हुईं, उसमें सम्मिलित हैं :

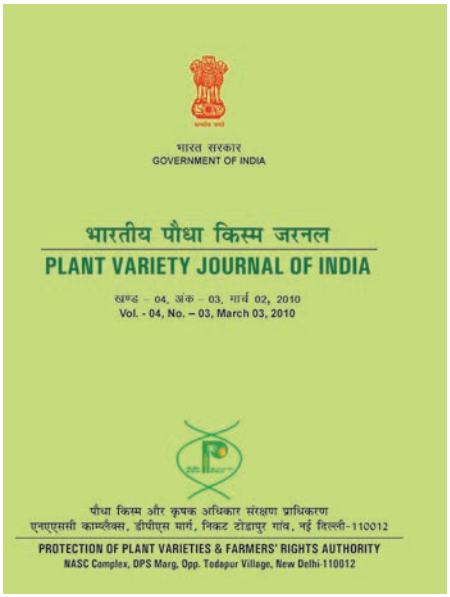

क) पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों का विवरण

ख) छब्बीस (26) प्रजातियों के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश

ग) सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु मानदंड तथा विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण शुल्कों के संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं।

घ) बीज अधिनियम,1966 के अंतर्गत अधिसूचित नई किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों तथा विद्यमान किस्मों और सामान्य ज्ञान की किस्मों के लिए आवेदकों की विभिन्न श्रेणी के लिए लागू पंजीकरण शुल्क का विवरण।

ड.) अधिसूचित फसल प्रजातियों में कृषक किस्मों के लिए अनुमन्य 'अवांछनीय पौधे'

च) बीज पैकेटों पर लेबल लगाने संबंधी विवरण जिसमें पंजीकृत पौधा किस्मों का नाम तथा पंजीकरण संख्या इंगित की गई हो

छ) प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए भारत के जैव–विविधता वाले हॉट–स्पॉट।

3- ikS/kk fdLeksa dk jk"Vªh; jftLVj

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अनुपालन में 'रजिस्ट्री' के मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नाम के साथ–साथ सम्बद्ध प्रजनक का नाम, पता, विशिष्टताओं, विशिष्ट गुणों आदि का विवरण है। अब तक 2 नई किस्मों, 3 कृषक किस्मों और 163 विद्यमान किस्मों (बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित) को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करके पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

4- ikS/kk fdLe vkSj d"kd vf/kdkj lajf{k.k ikf/kdkj.k dk jk"Vªh; thu cSad

पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रजनक को बीज अथवा प्रवर्धन सामग्री के साथ–साथ पंजीकृत किस्म के पैतृक वंशक्रमों के बीजों की निर्धारित मात्रा राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा करानी होती है। प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 2007 में हुई थी जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है तथा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के पुराने परिसर में स्थित है। यह राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है तथा मध्यम अवधि की भंडारण स्थितियों के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों का 'सच्चा' (परंपरागत) भंडार है और विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण का भंडारागार है (विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के अंतर्गत परीक्षित होने वाली प्रत्याशी किस्मों के बीजों का भंडार)। ये बीज नियंत्रित जलवायु संबंधी स्थितियों के अंतर्गत सुरक्षित रूप से भंडारित किए जाते हैं।

4-1 ii thd`r fdLeks ds chtks dk e/;kof/k vof/k HkaMkj.k

सभी पंजीकृत किस्मों की बीज सामग्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैबिनेट में नियंत्रित जलवायु संबंधी स्थितियों के अंतर्गत रखी जाती है और यहां 4^{0} से. तापमान व 30$\pm$ 05% सापेक्ष आर्द्रता रखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भंडारित बीज नमूनों में लंबी अवधि तक जीवनशीलता बनी रहे। भंडारित सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन कैबिनेटों में दोहरी तालाबंदी प्रणाली है।

विद्यमान किस्मों के 163 (बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित), नई किस्मों के 2 और कृषक किस्मों के 3 प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा बीजों के नमूने राष्ट्रीय जीन बैंक में 2008–09 और 2009–10 के दौरान यहां रखे गए। इन बीज नमूनों को निर्धारित सुरक्षा अवधि तक भंडारित किया जाएगा। जिन फसलों के बीज यहां भंडारित किए गए हैं उनसे संबंधित विस्तृत सूचना सारणी 7 में दी गई है। बीजों की जीवनशीलता तथा अन्य कार्यिकीय प्राचलों और बीज के स्वास्थ्य की स्थिति आदि की जांच नियमित अंतरालों पर की जाती है। यदि पहले से प्रस्तुत किए गए नमूनों की जीवनशीलता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो प्रजनकों को नया बीज नमूना पुनः प्रस्तुत करने को कहा जाता है और उसकी लागत प्रजनक को वहन करनी पड़ती है।

lkj.kh 7- e/;e HkaMkj.k fLFkfr;ks ds vrxr jk"Vh; thu cd e HkaMkfjr ithd`r fdLeks ds ueus

Ø-l-	Qly	cht ueuks dh l[;k						dy
		2008-09			2009-10			
		lkoZtfud {k=	futh {k=	d"kd fdLe	lkoZtfud {k=	futh {k=	d"kd fdLe	
ubZ fdLe								
1.	चपाती गेहूं	-	-	-	02	-	-	02
d"kd fdLe								
2.	चावल	-	-	-	-	-	03	03
vf/klfpr fo|eku fdLe								
1	बाजरा	05	01	-	17	06	-	29
2	चावल	-	01	-	02	-	-	03
3	ज्वार	03	01	-	08	-	-	12
4	मूंग	05	-	-	12	-	-	17
5	उड़द	04	-	-	04	-	-	08
6	राजमा	01	-	-	02	-	-	03
7	मटर	08	-	-	02	-	-	10
8	मसूर	05	-	-	01	-	-	06
9	चपाती गेहूं	-	-	-	46	-	-	46
10	मक्का	06	-	-	14	-	-	20
11	कपास	-	-	-	-	05	-	05
12	बागान मटर	-	-	-	04	-	-	04
	;kx	37	03	-	114	11	03	168

4-2 thu c|d e| vYikof/k HkMkj.k

निर्धारित अवधि के लिए पंजीकृत किस्मों के बीजों को भंडारित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय जीन बैंक का उपयोग उन किस्मों के भंडारण के लिए भी किया जाता है जिनका खेतों में विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण किया जा रहा हो। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 19 के अनुसार विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण की पुष्टि के लिए उचित परीक्षण करने हेतु बीज प्रस्तुत किया जाना होता है। नियम 29(1)(ग) में यह प्रावधान है कि विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण खेतों में किया जाएगा तथा यह बहु–स्थानिक आधार पर होगा और इसे कम से कम दो फसल मौसमों में किया जाएगा। अतः नई प्रत्याशी किस्मों, विद्यमान किस्मों (सामान्य ज्ञान की किस्मों) और कृषक किस्मों के लिए आवेदक फसल विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार बीज प्रस्तुत करते हैं जिन्हें जीन बैंक में रखा जाता है। बीजों के प्रतिनिधि नमूनों को विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण करने के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों में बुलाया जाता है और शेष बची सामग्री को किसी आकस्मिक परिस्थिति के लिए रखा जाता है। इन बीज पैकेटों को 20±2^0 से. के तापमान पर तब तक भंडारित रखा जाता है जब तक विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण पूरा नहीं हो जाता है। वर्तमान में, 147 नई किस्मों, 21 विद्यमान किस्मों (सामान्य ज्ञान की किस्मों) और 7 कृषक किस्मों को अल्पावधि भंडारण स्थितियों के अंतर्गत भंडारित किया गया है (सारणी 8)।

lkj.kh 8- ubZ iR;k'kh fdLeksa] fo|eku fdLeksa rFkk d"kd fdLeksa ds cht uewuks ij vYikof/k HkMkj.k

Ø- l-	Qly	cht uewuksa dh l[;k										dqy
		2007-08			2008-09			2009-10				
		ubZ fdLe		d"kd fdLe	ubZ fdLe		d"kd fdLe	ubZ fdLe		d"kd fdLe	oh lh dh	
		lkoZtfud {k=	futh {k=		lkoZtfud {k=	futh {k=		lkoZtfud {k=	futh {k=			
1	गेहूं	-	-	-	-	01	-	01	-	02	02	06
2	बाजरा	-	-	-	-	09	-	-	06	-	-	15
3	ज्वार	-	-	-	04	09	-	06	04	-	-	23
4	मक्का	-	-	-	04	20	-	06	06		13	49
5	चावल	-	-	-	-	08	01	-	03	02	01	15
6	कपास	-	-	-	-	21	-	03	32	-	05	61
7	पटसन	-	-	-	02	-	-	02	-		-	04
8	अरहर	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
9	चना	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
	dqy	-	-	-	10	68	01	18	51	06	21	175

4-3 QhYM thu c|d

पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्न तापमान (4–5^{0}से.) और निम्न नमी अंश युक्त 'परंपरागत' बीजों का भंडारण अब मध्यावधि भंडारण की व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली कार्य नीति हो

गई है। तथापि, बहुवर्षीय पौधों (जैसे आम और नींबूवर्गीय फलों के वृक्ष, यूकेलेप्टिस तथा पोपलर जैसी रोपण फसल, रबड़ और कॉफी जैसी वाणिज्यिक फसल, गन्ना जैसी शर्करा फसल अथवा चारा घास), जो या तो 'रीकैल्सीट्रेंट' (अल्पावधि जीवित रहने वाले अथवा विपरीत परिस्थितियों को न सह सकने वाले) बीज उत्पन्न करते हैं अथवा बीज बनाते हैं या बिल्कुल भी बीज नहीं बनाते हैं और जिनका कार्णिक प्रवर्धन किया जाता है, इनका दीर्घ पुनर्जनन चक्र होता है अथवा ये लैंगिक रूप से वंध्य होते हैं। इन सब के 'बहिर्स्थाने' संरक्षण के लिए 'फील्ड जीन बैंक' व्यापक रूप से पूरे विश्व में प्रयुक्त होने वाली प्रथा है।

फील्ड जीन बैंक अधिकांशतः उन स्थानों पर विकसित किए जाते हैं जो संबंधित प्रजाति के उद्‌गम/विविधता के क्षेत्र के निकट होते हैं और जहां उपयुक्त कृषि–जलवायु संबंधी स्थितियां (जैसे उस क्षेत्र की मृदा व जल अपेक्षाकृत रोगों व नाशकजीवों के संक्रमण से युक्त होती है) उपलब्ध होती हैं।

भारत अनेक प्रजातियों की समृद्ध कृषि जैव–विविधता वाला देश है इनमें आम, नींबूवर्गीय फल, केला, नारियल, काजू, कॉफी, रबड़, चाय, हल्दी, अदरक, इलायची तथा अन्य रोपण/बागवानी /वन्य प्रजातियां सम्मिलित हैं। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने दो केन्द्रों यथाः डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली (कोंकण तटवर्ती क्षेत्र सहित पश्चिमी क्षेत्रों के लिए) और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (भारत के पूर्वी क्षेत्रों के लिए) केन्द्रों का चयन वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण फल/रोपण/वन्य प्रजातियों की किस्मों के फील्ड जीन बैंकों की स्थापना के लिए चुना। संबंधित संस्थानों से लम्बी अवधि हेतु समर्पण व वचनबद्धता प्राप्त की गई और समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परियोजना मोड पर कार्य आरंभ किया गया, ताकि आवश्यक बुनियादी ढांचा सृजित किया जा सके। पहचाने गए क्षेत्रों की बाड़–बंदी कर दी गई है। इन सुविधाओं का उपयोग क्षमता निर्माण, पौधा किस्म पंजीकरण से संबंधित मुद्‌दों पर प्रलेखन और प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। ये फील्ड जीन बैंक विभिन्न चुने गए स्थानों से संकलित जारी की गई किस्मों के भंडारागार के रूप में कार्य करेंगे (संदर्भित संकलन), ताकि उप–प्रजातियों/अंतरा–किस्मगत विविधता को एक स्थान पर परिरक्षित किया जा सके। इन बैंकों में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षित किस्मों के पौधे भी होंगे। उचित प्रलेखन और डेटाबेस से किसी भी नई किस्म के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के दौरान उस किस्म की विशिष्टता की पहचान में सहायता प्राप्त होगी विवाद संबंधी मामलों के निपटारों में मदद मिलेगी, आदि–आदि। संदर्भित संकलनों की फील्ड स्थापना का उपयोग विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व विवरणों(त) अथवा उपलब्ध प्रकाशनों उदाहरणतः आईपीजीआरआई विवरणों में भी किया जा रहा है। इन बैंकों में पौधों को उच्च घनत्व के अंतराल पर इष्टतम सस्यविज्ञानी प्रथाओं के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा क्योंकि इनका उद्‌देश्य अन्य किस्मों की तुलना में संरक्षित किस्मों के आकृति विज्ञानी गुणों को बरकरार रखना है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने अन्य शीतोष्ण फल फसलों (उदाहरणतः, सेब, नाशपाती, अखरोट आदि), तटवर्ती/शुष्क क्षेत्रों की प्रजातियों को प्राथमिकता देने का कार्य आरंभ किया है, ताकि डीयूएस विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व विकसित किए जा सकें और साथ ही ऐसे केन्द्रों की पहचान भी की है जहां फील्ड जीन बैंक स्थापित किए जाएंगे।

चूंकि अनेक बागवानी प्रजातियां, उदाहरण के रूप में आम, मसाला फसलें, (हल्दी, अदरक, छोटी इलायची आदि) पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो गई हैं और केला, नारियल, नींबूवर्गीय फल, अमरूद आदि के लिए विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व विवरणों का विकास कार्य आरंभ हो गया है, अतः पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने बागवानी प्रजातियों (इनमें औषधीय/सगंधित प्रजातियां, वानिकी, रोपण फसलें आदि भी सम्मिलित हैं) के 'फील्ड जीन बैंक' की स्थापना का कार्य आरंभ किया है।

प्रारंभ में यह दो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में होगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में पूर्वी क्षेत्र की फसल प्रजातियों के लिए तथा दूसरा डॉ. बाला साहेब सांवत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली में पश्चिमी और तटवर्ती क्षेत्रों के लिए परियोजना मोड पर तीन वर्षीय कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं (खेत तथा प्रयोगशाला आधारित) विकसित की जाएंगी। इस संबंध में 23 जून 2009 को मुख्यालय में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, ताकि फील्ड जीन बैंकों को संचालित करने की क्रियाविधियों का निर्धारण किया जा सके और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जीन बैंक में तीन ब्लॉक होंगे, नामतः उदाहरण/संदर्भ ब्लॉक, जीन बैंक रिपोजिटरी ब्लॉक और विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण ब्लॉक। यह निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक फसल के लिए अंतरा–किस्मगत विविधता को भी चिन्हित किया जाएगा।

4-3-1fcjlk df"k fo'ofo|ky; e QhYM thu cid

इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण फलों, यथा आम, आंवला, अनन्नास, लीची, अमरूद, बांस, नींबूवर्गीय फलों तथा केला (पूर्वी क्षेत्र) के लिए विवरणों का विकास/परिशोधन करना तथा पंजीकृत/उदाहरण/कृषक किस्मों के लिए भंडारागार के रूप में सजीव भंडारगृह स्थापित करना है। यह परियोजना औपचारिक रूप से दि0 31.01.2009 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति डॉ. एन.एन.सिंह की उपस्थिति में आरंभ की गई।

केन्द्र में लगभग 8 एकड़ क्षेत्र का बाड़ युक्त फार्म विकसित किया गया है, आम की संदर्भ किस्मों की रोपाई के लिए खाका डिज़ाइन किया गया है तथा संदर्भ ब्लॉक में 400 बहु–भ्रूणिक मूलवृंत रोपे गए हैं जो आगामी मौसम में कलम लगाने की दृष्टि से तैयार हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त फार्म यंत्रों/उपकरणों की खरीद, तकनीकी जनशक्ति के विकास तथा आम की 44 श्रेष्ठ किस्मों के चयन हेतु आरंभिक सर्वेक्षण भी कर लिया गया है, ताकि संदर्भ किस्मों को स्थापित किया जा सके। नींबू वर्गीय फलों/खट्टा और नींबू की श्रेष्ठ किस्में राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प.), नागपुर से मंगाई जाएंगी और इसी प्रकार केला के सूचीबद्ध पौधों को त्रिची (केरल) स्थित भा.कृ.अ.प. के राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र से मंगाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचों के विकास और अनुरक्षण के लिए दीर्घावधि तक प्रतिबद्ध है। यह विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करेगा और पंजीकृत किस्मों के जीन बैंक का अनुरक्षण करेगा तथा कानूनी मुद्दों से भी निपटेगा।

4-3-2 Mk- ckyk lkgc lkor dkd.k df"k fo|kihB] nikyh e QhYM thu cid

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फलों, रोपण फसलों तथा वृक्ष प्रजातियों और बागवानी फसलों, जैसे काजू, आम, अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि का संकलन व बहिर्स्थाने संरक्षण, प्रलेखन व वर्णन करना है। संदर्भ किस्मों/विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण ब्लॉक/जीन बैंक ब्लॉक के लिए स्थल योजना तैयार कर ली गई है और अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी के लिए भूमि की तैयारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 200 वेल्लईकोलम्बन मूलवृंत रोपण सामग्री खरीदी गई है तथा प्रयोगशाला सुविधाओं का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है। यह योजना है कि केन्द्र क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र (वेन्गुला) से आम की पहचानी गई किस्मों की श्रेष्ठ रोपण सामग्री प्राप्त करेगा और आने वाले मौसम में वेल्लइकोलम्बन मूलवृंतों पर उनकी कलम लगाएगा। केन्द्र में अदरक की श्रेष्ठ रोपण सामग्री का संकलन भी किया गया है जिसे संदर्भ ब्लॉकों में रोपा जाएगा।

5- ubl Qly i|tkfr;k| d| fy, fof'k"Vrk] ,d#irk vk|j LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfun|'kk| dk fodkl

5-1 o"k| 2009&10 d| nkjku i|.kk fd, x, fof'k"Vrk] ,d#irk ,o| LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfun|'k

वो फसले जिन्हें पंजीकरण के अंतर्गत लाया जाना है। उनके लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायत्वि परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की एक नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। पुदीना (*मेंथा एर्वेन्सिस*), गुलाब (*रोजा डेमेसेना*), ब्रह्मी (*बेकोपा मोनिएरी*), सदाबहार (*कैथेरेंथस रोजियस*), अश्वगंधा (*विथानिया सोम्नीफेरा*) तथा ईसबगोल (*प्लेंटेगो ओवाटा*) के लिए संबंधित संस्थानों द्वारा विकसित विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए। विभिन्न फसलों से संबंधित क्रियाकलापों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

lkj.kh 9- o"k| 2009&10 d| nkjku ubl Qly| d| fof'k"Vrk] ,d#irk vk|j LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfun|'kk| dh fLFkfr

Qly@Qly|	Qly i|tkfr;k	fLFkfr
तिलहन	सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, कुसुम, अरण्ड, तिल, अलसी, मूंगफली और सोयाबीन	अधिसूचीकरण की प्रक्रिया में
फल	आम	अधिसूचीकरण की प्रक्रिया में
सब्जियां	बंदगोभी, फूलगोभी, प्याज, लहसुन, भिण्डी, टमाटर, बैंगन और आलू	अधिसूचीकरण की प्रक्रिया में
पुष्प	गुलाब तथा गुलदाउदी	अधिसूचीकरण की प्रक्रिया में
मसाले	हल्दी और अदरक	पंजीकरण के लिए अधिसूचित
	छोटी इलायची और काली मिर्च	अधिसूचीकरण के अंतर्गत
नकदी फसल	गन्ना	पंजीकरण के लिए अधिसूचित
औषधीय और संगध फसलें	पुदीना, गुलाब, ब्रह्मी, पैरीविंकल, अश्वगंधा और ईसबगोल	विवरण विकसित किए गए और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए
वृक्ष और रोपण फसलें	नारियल और काजू	विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है
	पोम फल (सब और नाशपाती), गिरियां (अखरोट व बादाम) और गुठलीदार फल (खुबानी और चेरी)	विवरण विकसित किए जा रहे हैं
	नींबूवर्गीय फल (*सिट्रस रेटिकुलेटा, सी.साइनेंसिस और सी.औरेंटिफोलिया*)	विवरण विकसित किए जा रहे हैं
	रबड़	विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है
	शकरकंद और कसावा	विवरण विकसित किए जा रहे हैं
वानिकी	सफेदा और कैसेरीना (ऊर्जा और इमारती लकड़ी प्रजातियां)	विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है।
	नीम, करंज और जैट्रोफा (तेल युक्त वृक्ष प्रजातियां)	विवरण विकसित किए जा रहे हैं

5-2 u, fof'k"Vrk] ,d#irk vkSj LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfunsZ'kksa ds fodkl ds fy, ifj;kstuk,a

विभिन्न फसलों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास और उनके सत्यापन के लिए चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने ''करंट साइंस'' में खुले विज्ञापन के आधार पर विशेष रूप से बागवानी, वानिकी और रोपण फसल प्रजातियों जैसी नई फसलों के लिए परियोजनाओं का आह्वान किया है। परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा की गई छंटाई और अनुशंसाओं के आधार पर शीतोष्ण पोम फलों (सेब और नाशपाती), गिरीदार फलों (अखरोट और बादाम), गुठलीदार फलों (खुबानी और चेरी), तेल युक्त वृक्ष प्रजातियों (नीम, करंज और जट्रोफा) तथा नींबूवर्गीय फलों (*सिट्रस रेटिकुलेटा, सी. साइनेंसिस* और *सी. ओरेंटिफोलिया*) के लिए विवरण और विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण मानदंड विकसित करने के लिए अनेक परियोजनाएं प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से आरंभ की गयी हैं (अनुबंध–4)। इनके अतिरिक्त सब्जी वाली खीरा–ककड़ी [खीरा (*क्यूक्यूमिस सेटाइवस*), लौकी (लेगेनेरिया सिन्सेरेरिया), करेला (*मोमोर्डिका चेरंसिया*), कद्दू (*कुकुरबिटा मोस्काटा*) तथा चिचिंडा (*ट्राइकोसेंथस डाइओका*)], चाय, केला, अमरूद, लीची, शंक्व वृक्षों (चीड़, देवदार), बांस आदि को सैद्धांतिक रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें 2010–11 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना मूल्यांकन समिति ने नई दिल्ली में 22 जुलाई 2009 तथा 17 मार्च 2010 को आयेाजित अपनी बैठकों में इन परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति तथा भौतिक प्रगति का मूल्यांकन किया। संस्थावार प्रगति निम्नानुसार हैः

5-2-1 ou vkuqoaf'kdh ,oa o`{k iztuu laLFkku ¼vkbZ,QthVhch½] dks;EcÙkwj

'वन्य वृक्ष प्रजातियों की किस्मों के वर्णन, परीक्षण और पंजीकरण के लिए कार्यनीतियों का विकास' के अंतर्गत कागज उद्योग द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली *यूकेलिप्टस* और *कैसुरीना* की उपलब्ध अंतर–क्लोनीय विविधता का मूल्यांकन विवरणों के विकास के लिए किया गया। आकृतिविज्ञानी गुणों पर किए गए अध्ययन तथा छाया विश्लेषक के माध्यम से सृजित आंकड़ों के आधार पर कुछ विशिष्ट गुण रिकॉर्ड किए गए। इन गुणों पर आईएफजीटीबी, कोयम्बत्तूर में 23 सितम्बर 2009 को आयोजित पर्णधारियों की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई ताकि विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। ये प्रस्तावित विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देश *'केसुरीना और यूकेलिप्टस के लिए* विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व *परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन'* शीर्षक परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए हैं और इनका बहु–स्थानिक आंकड़ा संकलन के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। यह परियोजना 2009–10 में स्वीकृत की गई थी तथा यह दो वर्ष के लिए है और इसके लिए 22.68 लाख रुपये का बजट आबंटन किया गया है।

5-2-2 dsUnzh; vkS"k/kh; ,oa lqxa/kh; ikS/kk laLFkku] y[kuÅ

औषधीय, सगंधीय, बीज–मसालों में प्रयोगशालाओं तथा फील्ड सुविधाओं, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों को सबल बनाना और विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व दिशानिर्देशों का विकास' शीर्षक परियोजना के अंतर्गत *मेंथा अर्वेन्सिस* (मेंथाल मिंट या पुदीना), *रोजा डेमेसेना* (गुलाब), *बैकोपा मोनिएरी* (ब्रह्मी), कैथारेंथस *रोजियस* (पेरिविंकल) और *विथानिया सोम्नीफेरा* (अश्वगंधा) के लिए विवरणों को विकसित करने का कार्य पूरा किया गया और पांच फसलों के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया।

5-2-3 vk"k/kh; ,o lx/kh; ikni vu|l/kku fun'kky;] vkun

भारत ईसबगोल (*प्लेंटेगो ओवाटा*) का प्रमुख उत्पादक व निर्यातक है और यह फसल कठिन एवं सीमांत स्थितियों में कार्य करने वाले गुजरात एवं राजस्थान के किसानों की आय व आजीविका का मुख्य साधन है, अतः ईसबगोल की किस्मों के पंजीकरण को उचित प्राथमिकता दी गई है। *प्लैंटेगो ओवाटा* (ईसबगोल) के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा इस पर प्राधिकरण की 10 नवम्बर 2009 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई। चर्चा के आधार पर दिशानिर्देशों के मसौदे को यथोचित संशोधित किया गया और इसका पुनरीक्षण विशेषज्ञों के समीक्षा दल ने किया। अब विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार है तथा इस फसल को पंजीकरण के लिए अधिसूचित किया जाने वाला है। इसके पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन किए जाएंगे।

5-2-4 jk"Vh; cht elkyk vu|l/kku dUnz vtej

भारतीय धनिया की उन किस्मों के शुद्धिकरण का कार्य किया गया जिनका उपयोग या तो बीज मसाले के रूप में अथवा मिर्च मसाले के रूप में किया जाता है। धनिया की उपलब्ध किस्में या तो अनेक जनसंख्याओं का मिश्रण हैं अथवा उन्हें नियंत्रित परागण के अंतर्गत तैयार किया गया है। ऐसी किस्मों को शुद्ध करके किस्म की दृष्टि से असली बनाया गया। इनके लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

5-2-5 dUnh; dn Qly vu|l/kku lLFkku] fr:vurije

'कसावा और शकरकंद जैसी उष्ण कटिबंधीय कंद फसलों के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण मानदंडों का विकास और किस्मीय जीन बैंक की स्थापना' शीर्षक की परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार प्रगति हुई है :

- कसावा के 34 आकृतिविज्ञानी और 21 मात्रात्मक विशेषकों की पहचान की गई व गुण–निर्धारण किया गया, जबकि शकरकंद के 32 प्रमुख विवरणों और 13 मात्रात्मक विशेषकों की पहचान की गई।

- केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान – मुख्यालय, केरल (1600 मी.^{2}) और केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान – क्षेत्रीय केन्द्र, उड़ीसा (900 मी.^{2}) में विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण स्थल का विकास किया गया।

- कसावा की 17 विमोचित प्रजातियों और शकरकंद की 26 विमोचित प्रजातियों को एकत्रित किया गया और किस्मीय जीन बैंक में संस्थान के मुख्यालय में रखा गया। इसके अतिरिक्त कसावा की 14 विमोचित किस्मों और शकरकंद की 33 किस्मों (विमोचित तथा विमोचन से पूर्व की अवस्था वाली) को केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र), भुवनेश्वर के किस्मीय जीन बैंक में सुरक्षित रखा गया।

- स्थिरता के और मूल्यांकन हेतु परीक्षण किए गए तथा आकृतिविज्ञानी गुणों व संदर्भ किस्मों के प्रतिकृति मूल्यांकन परीक्षण किए गए। रोपण सामग्री प्रगुणित की गई तथा मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न केंद्रों के बीच इसका आदान–प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कसावा की विषाणु मुक्त रोपण सामग्री का मेरिस्टम संवर्धन के माध्यम से प्रगुणन किया गया, ताकि इसका परिशुद्ध गुण–निर्धारण किया जा सके।

- कसावा की 17 किस्मों के 55 गुणों और शकरकंद की जारी की गई 26 किस्मों के 18 गुणों को केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरूअनंतपुरम में रिकॉर्ड किया गया। इसी प्रकार, शकरकंद की जारी की गई 26 किस्म के 33 गुणों और कसावा की जारी की गई 10 किस्मों के 26 गुणों को केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र), भुवनेश्वर के सहयोगी केन्द्र में रिकॉर्ड किया गया।

'kdjdn dh fdLek e iÙkh vkdfr;k

5-2-6 vU; o{k okfudh rFkk jki.k Qly

- नारियल के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा केरल में कैसरगोड स्थित केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान में विवरणों का सत्यापन किया गया। विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का कार्यबल द्वारा पुनरीक्षण करके उन्हें अंतिम रूप दिया जाना है। इस कार्रवाई के पश्चात् रोपण फसलों के विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर, कर्नाटक ने काजू के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करके प्रस्तुत कर दिए हैं जिन्हें अपनाने से पहले उनकी जांच कार्यबल द्वारा की जाएगी।

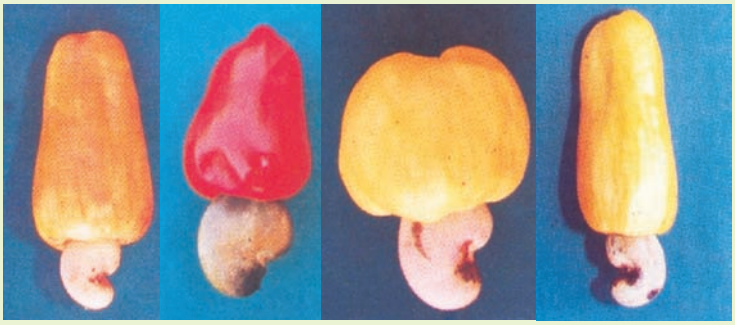

1 2 3 4

dkt d Qy dh foHkUu vkdfr;k

- कोट्टायम, केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने रबड़ के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा विकसित किया है जिसमें स्वीकार योग्य आकृतिविज्ञानी विवरण हैं और इनका सत्यापन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

- कुल 27.6 लाख रुपये की स्वीकृति 3 वर्ष के लिए 'नीम, करंज तथा जट्रोफा वृक्ष प्रजातियों के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्वविवरणों और परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास' शीर्षक की परियोजना के लिए वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), मेट्टूपालयम, कोयम्बत्तूर को तेल युक्त वृक्ष प्रजातियों के आकृतिविज्ञानी गुणों के विकास तथा विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए दिए गए। कुछ विशिष्ट गुणों की पहचान संस्थान द्वारा कर ली गई है और इन्हें रिकॉर्ड करके इनका सत्यापन किया जा रहा है।

rsy;qDr o`{k itkfr;ksa ¼uhe] djat vkSj tVªksQk½ ds fy, dqN egRoiw.kZ Mh;w,l fooj.k igpkus x,

5-2-7 dsUnzh; 'khrks".k ckxokuh lLFkku] Jhuxj

पोम फलों (सेब और नाशपाती), गिरीदार फलों (अखरोट और बादाम) तथा गुठलीदार फलों (खुबानी और चेरी) के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास तथा सत्यापन के लिए कुल 72.20 लाख रुपये के सम्मिलित बजट से 3 वर्ष की अवधि के लिए तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इनका उद्देश्य शीतोष्ण भारत के प्रमुख फलों जिनमें अखरोट जैसे देसी फल भी सम्मिलित हैं, का पंजीकरण करना है। एक बार जब इनके लिए पंजीकरण खुल जाएगा तो ऐसी आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी उनके द्वारा विकसित सेब तथा अन्य शीतोष्ण फलों की बेहतर किस्मों के आदान–प्रदान के लिए प्रोत्साहित होगें और भारत में उनका पंजीकरण भी संभव होगा।

5-2-8 Hkkjrh; elkyk vuqla/kku laLFkku] dkslhdksM] dsjy

प्रमुख भारतीय मसालों पर सशक्त डेटाबेस और रिपोजिटरी विकसित करने के उद्देश्य से दो स्थानों यथाः कोझीकोड और उड़ीसा में 14.30 लाख रुपये के परिव्यय वाली 'मसालों के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण केन्द्र की स्थापना' शीर्षक वाली एक परियोजना दो वर्ष के लिए स्वीकृत की गई। केन्द्र ने अदरक (*जिंजिबर ऑफिसिनेल* रोजैक), हल्दी (*करक्यूमा लोंगा* एल.), काली मिर्च (*पाइपर नाइग्रम* एल.) तथा इलायची (*इलेटेरिया कार्डेमोमम* मैटन) की जारी हो चुकी किस्मों का डेटाबेस प्रस्तुत कर दिया है।

5-2-9 jk"Vªh; uhcoxhZ; Qy vuqla/kku dsUnz] ukxiqj

'नींबूवर्गीय फलों (*सिट्रस रेटिकुलेटा, सी. साइनेंसिस* और *सी. औरेंटिफोलिया*) के लिए फसल विशिष्ट विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना' शीर्षक की परियोजना 3 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई जिसका बजट परिव्यय 45.356 लाख रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण तीन नीबू वर्गीय प्रजातियों, जो भारत की मूल प्रजातियां हैं, के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षणों को अंतिम रूप देना तथा उनका सत्यापन करना है।

5-2-10 jk"Vªh; vkfdZM vuqla/kku dsUnz] flfDde

आर्किड के तीन गणों यथाः कैम्बिडियम, डैंड्रोबियम और वांदा के आकृतिविज्ञानी गुणों का गुण–निर्धारण करने के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण किया गया और तकनीकी दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया। इन आकृतिविज्ञानी गुणों का उपयोग ऑर्किड्स के विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण में किया जा सकता है। इस उद्देश्य से गठित कार्यबल की बैठक दि0 22.02.2010 को गंगटोक में आयोजित हुई ताकि दिशानिर्देशों के मसौदे तथा आकृतिविज्ञानी गुणों की विस्तार से जांच की जा सके।

5-2-11 Hkkjrh; ckxokuh vuqla/kku lLFkku] cxyq#

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण केन्द्र और गुलाब रिपोजिटरी के सबलीकरण' पर एक परियोजना इस संस्थान में आरंभ की गई जिसकी अवधि दो वर्ष है और जिसका परिव्यय 32.518 लाख रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षणों में सुविधा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण डेटाबेस सृजन हेतु गुलाब की सभी ज्ञात/पहचानी गई किस्मों की रिपोजिटरी का विकास करना है।

6- vuql/kku ,o fof'k"Vrk] ,d#irk ,o LFkkf;ro ls lcaf/kr enns

6-1 vuql/kku

6-1-1 ,l-Mh-d`f"k fo'ofo|ky;] ljnkj d`f"kuxj

अनुरक्षण प्रजनन तकनीकों पर अध्ययन के लिए 'दलहनों का अनुरक्षण प्रजनन व वर्तमान किस्मों का शुद्धिकरण' शीर्षक की एक परियोजना आरंभ की गई है जिसके परिणामों को दलहनों व अन्य फसलों की संदर्भ और उदाहरण किस्मों के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई यह योजना दो वर्ष के लिए है तथा जिसका परिव्यय 25.03 लाख रुपये है। इस परियोजना को सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व दलहन अनुसंधानों के लिए उत्कृष्टता के केन्द्र, एसडी कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, गुजरात को सौंपा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य उन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना भी है जो पर–परागित तथा बहुधा पर–परागित फसल प्रजातियों की संदर्भ किस्मों के रखरखाव के कार्य में लगे हुए हैं।

6-1-2 ,e-,l-LokehukFku fjlpZ QkmaMs'ku] pUubZ

'एमएसएसआरएफ के सामुदायिक जीन बैंक में संरक्षण के अंतर्गत चावल की कृषक किस्मों का विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व गुण–निर्धारण और मूल्यांकन' शीर्षक की परियोजना जिसका उद्देश्य कृषक किस्मों का गुण–निर्धारण है, ताकि इन किस्मों का पंजीकरण किया जा सके और किसानों की समृद्धता के लिए उनका अनुरक्षण किया जा सके, को प्राधिकरण ने तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया है। इसके लिए 23.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

6-1-3 xkfon oYyHk iar d`f"k ,oa ikS|kfxdh fo'ofo|ky;] iaruxj

'भारत के बीज बाजार में किस्मों की स्थिति' शीर्षक की परियोजना आरंभ की गई थी जिसके लिए 5.247 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और इसकी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष में प्रस्तुत की जानी है। केन्द्र ने गेहूँ, चावल, मक्का और कपास के लिए 345 बीज कंपनियों से सम्पर्क किया था लेकिन केवल 13 कंपनियों ने ही अनुरोध का जवाब दिया है। जिन किस्मों का व्यापार किया जा रहा है उनके मूल्य आदि पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई।

6-1-4 Hkkjrh; d`f"k vuql/kku laLFkku] ubZ fnYyh

इस संस्थान के आनुवंशिकी संभाग द्वारा 'चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा की अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों का पता लगाने के लिए क्रियाविधि और प्रोटोकाल का विकास' शीर्षक वाली परियोजना दि0 31.03.2010 को समाप्त हो गई। इस परियोजना के अंतर्गत सृजित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है और परियोजना की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

6-2 fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ls lacaf/kr vU; enns

6-2-1 ^o`{kksa vkSj jksi.k Qlyksa ds iathdj.k ls tqMs enns* fo"k; ij jk"Vªh; ijke'kZ

बायो–टैक कंसोर्टियम ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से वृक्षों और रोपण फसलों के पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं तथा संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए निम्नानुसार 4 राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किए गए :

क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 1 जुलाई 2009 को

ख) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड को 10 जुलाई 2009 को

ग) असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में 3 नवम्बर 2009 को बीसीआईएल, नई दिल्ली के सहयोग से तथा

घ) राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर में 8 दिसम्बर 2009 को (बीसीआईएल के सहयोग से) इन परामर्शों के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. वृक्षों और लताओं वाली किस्मों का पंजीकरण विशिष्ट आनुवंशिक कारणों के फलस्वरूप वार्षिक खेत फसलों से अनेक पहलुओं में भिन्न है।

2. वृक्षों और लताओं में चूंकि प्रवर्धन मुख्यतः वानस्पतिक साधनों से होता है, समरूपता और स्थायित्व संबंधी पर्यवेक्षण मातृ पौधों को देखकर आसानी से किया जा सकता है।

3. वृक्षदार फसलों की अधिकांशतः शैशव (जुवेनाइल) अवस्था लंबी होती है और शैशव अवस्था समाप्त होने के पश्चात ही विश्वसनीय आकृतिविज्ञानी गुण दिखाई पड़ना आरंभ होते हैं।

4. पादप सामग्री के साज–संभाल की लागत अधिक होती है।

5. एक विशेष अवस्था और आयु के बाद रोपण सामग्री को जीवित बचाए रखना बहुत कठिन लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है।

lhihvkjvkb] f'keyk(lhihlhvkjvkb] dklxkM(,,;q]
tkjgkV vkj ,uvkjlh&flVl] ukxiqj esa vk;ksftr o{k ,oa jksi.k
Qlyksa ij pkj jk"Vªh; ijke'kZ cBdsa

6. लंबा प्रजनन चक्र और कठिन चयन विधियों के कारण किसी किस्म को जारी करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं।

7. यदि विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण की अवधि लंबी होगी तो इससे नव–विकसित किस्मों के विपणन में विलंब होगा।

8. इसलिए पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण के लिए कुछ साधारण और कुशल विधियों की आवश्यकता है।

इन निष्कर्षों और अनुशंसाओं के आधार पर धारा 29(1)(ग) में संशोधन किया जाएगा, ताकि 'वृक्षों और लताओं की किस्मों का स्थल पर निरीक्षण' किया जा सके। इस संशोधन की जांच की जा रही है।

6-2-2 ^df"k tSofofo/krk gkWV&LikWV~l] d"kdksa ds vf/kdkj rFkk vUrjk"Vªh; fo/kkuksa* ij ppkZ*

नई दिल्ली स्थित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 21 दिसम्बर 2009 को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौतम की अध्यक्षता में कृषि जैव–विविधता संबंधी हॉट–स्पॉट्स और कृषकों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण दिए गए जिसके पश्चात् उन पर विस्तृत चर्चा हुई।

df"k tSo&fofo/krk gkWV&LikWV~l] d"kdksa ds vf/kdkj rFkk vUrjk"Vªh; fo/kkuksa ij jk"Vªh; ifjppkZ esa oSKkfudksa] fodkl dk;ZdrkZvksa vkSj d"kdksa us Hkkx fy;k

6-2-3 o"kkZ ou vuqla/kku laLFkku] tksjgkV esa ckal ds fy, fof'k"Vrk] ,d#irk vkSj LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfunZs'kksa ds fodkl gsrq fo'ks"kKksa dh ijke'kZ cSBd

वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट में 5 नवम्बर 2009 को बांस के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु विशेषज्ञों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में

पूरे भारत से बांस के विशेषज्ञों ने भाग लिया और बांस की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रजातियों की पहचान के लिए विस्तृत विचार–विमर्श किया गया, ताकि इस फसल से संबंधित विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास का कार्य आरंभ किया जा सके।

o"kkZ ou vuqla/kku laLFkku] tksjgkV] vle esa vk;ksftr fo'ks"kK ijke'kZ cSBd

6-2-4 Vh fjlpZ ,lksfl,'ku] VksdybZ ik;ksftr dsUnz] tksjgkV esa pk; ds fy, fof'k"Vrk] ,d#irk ,oa LFkkf;Ro ijh{k.k fn'kkfunsZ'kksa ds fodkl grq i.k/kkfj;ksa dh cSBd

पंजीकरण के परिदृश्य में चाय के गुणों के निर्धारण की क्रियाविधि को अंतिम रूप देने तथा उससे संबंधित विवरण तैयार करने के लिए जोरहाट स्थित टी रिसर्च एसोसिएशन, टोकलई प्रायोजित केन्द्र में चाय के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु संबंधित पणधारियों की बैठक आयोजित की गई।

6-2-5 ^ckSf)d laink vf/kdkj rFkk ikS/kk fdLe vkSj d`"kd vf/kdkj laj{k.k vf/kfu;e % laj{k.k] uokpkj] lqj{kk] izca/k ,oa okf.kT;hdj.k dh vksj* fo"k; ij jk"Vªh; laxks"Bh

'बौद्धिक संपदा अधिकार तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम : संरक्षण, नवाचार, सुरक्षा, प्रबंध एवं वाणिज्यीकरण की ओर' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 4 सितम्बर 2009 को वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर में किया गया, ताकि वन्य फसल प्रजातियों से संबंधित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और जैव–विविधता के टिकाऊ उपयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

7- MVkcl vkj ^bMl* dk fodkl

बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के प्रलेखन के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने मैसर्स बिरला सॉफ्ट इंडिया प्रा.लि. से आउटसोर्सिंग के द्वारा 'विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली' (इंडस) तथा भारत की अधिसूचित तथा विमोचित किस्में (एनओआरवी) सॉफ्टवेयर तैयार किया। इस सॉफ्टवेयर में राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर के लिए आंकड़े, फार्म–1 और 2, तकनीकी प्रश्नावलियां (टीक्यू), विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान किस्मों के आंकड़े, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और आण्विक जीवविज्ञान सूचना रिपोर्ट, डिजिटल हर्बेरियम, जीन बैंक के विवरण और ई–जरनल उपलब्ध हैं। 'इंडस' वर्ज़न 08.1 का उपयोग रूटीन सर्फिंग तथा आवेदित की जाने वाली सामग्री की नवीनता के पुष्टिकरण के लिए उपयोगकर्ताओं को धनराशि की अदायगी के आधार पर किया जाएगा। ऐसा अनुमान है और ऐसी अपेक्षा है कि यह सॉफ्टवेयर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य हेतु एक गतिशील ऑन–लाइन डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा। इस प्रणाली को विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व विवरणों के अनिवार्य गुणों जैसे समूहीकरण, अनिवार्य गुणात्मक और मात्रात्मक गुणों को संरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडस 08.1 में किसी किस्म के पैतृकों, संदर्भ किस्मों और उदाहरण किस्मों के विवरण से संबंधित सूचना को भंडारित करने का प्रावधान है और यह प्रावधान भी है कि विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षणों में प्रत्याशी किस्मों के साथ उगाई जाने वाली प्रासंगिक किस्मों को भी चुना जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से जारी की जा चुकी सैकड़ों जातियों के ज्ञात गुणों के आधार पर एक विस्तृत डेटाबेस सृजित किया गया। अब विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके इस डेटाबेस को सर्च किया जा सकता है। ये शब्द विशेष व नये नाम के विशिष्ट गुणों से जुड़े हो सकते हैं। प्रत्याशी किस्म के आस–पास की कोई ऐसी ज्ञात किस्म जिसका विवरण अन्यत्र उपलब्ध हो इंडस सर्च के माध्यम से खोजी जा सकती है। ऐसी उदाहरण किस्मों को विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण प्लॉटों में उगाया जा सकता है ताकि उन्हें पहले से पंजीकृत किस्मों की तुलना में पृथक होने के संबंध में पता लगाया जा सके।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों का विवरण भी इंडस वर्जन 08.1 में दर्ज किया जा रहा है। वैब साइट का हिन्दी संस्करण भी सक्रिय कर दिया गया है और हिन्दी उपयोगकर्ता इसे सर्च कर सकते हैं। बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित और जारी की गई किस्मों का डेटाबेस राजपत्र में अधिसूचित फसल प्रजातियों का डेटाबेस तैयार किया गया है और पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसे 'इंडस' वर्जन 08.1 में अपलोड किया गया है।

8- fo/kk;h i{kdk"B dk fØ;kdyki

8-1 lwpuk dk vf/kdkj dk mÙkj

सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना के त्वरित और उचित निपटान के लिए प्राधिकरण ने एसीपीआईओ, सीपीआईओ को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। संबंधित अधिकारियों के विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर 'आरटीआई' शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध हैं। प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए और प्राधिकरण में मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील के तीन मामले निर्धारित समय–सीमा में निपटाए गए। सूचना का अधिकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के रजिस्ट्री अनुभाग से संबंधित थे।

8-2 fo/kk;h i{kdk"B dk vU; egRoiw.kZ fØ;kdyki

प्राधिकरण के विधायी प्रकोष्ठ में दो सक्षम योग्यता प्राप्त और अनुभवी विधि सलाहकार हैं जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। उन्होंने विविध प्रकार के कार्यकलाप सम्पन्न किए जैसे अधीनस्थ विधानों का मसौदा तैयार करना, रजिस्ट्री और प्राधिकरण के विरुद्ध दाखिल किए गए अदालती मुकदमों के उत्तरों का मसौदा तैयार करना, प्राधिकरण और रजिस्ट्रार के समक्ष लाए जाने वाले कार्यवृत्तों पर विधिक सलाह व अपने मत व्यक्त करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर परामर्श देना तथा विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय देना आदि।

निम्नलिखित अधीनस्थ विधान अधिसूचित किए गए :

- सामान्य ज्ञान की किस्मों और कृषक किस्मों के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व मानदंड निर्धारित करने हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पंजीकरण के लिए विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व मानदंड) विनियम 2009
- भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.2009 को प्रकाशित वार्षिक शुल्क अधिसूचना
- सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्मों तथा नई किस्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने हेतु पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009 जिसके द्वारा कृषक किस्मों के पंजीकरण का समय तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया।
- पंजीकरण के लिए धारा 29 (2) के अंतर्गत गन्ना, अदरक और हल्दी की अधिसूचनाएं।

प्राधिकरण और रजिस्ट्रार के विरुद्ध दिल्ली और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर किए गए सभी मुकदमों का बचाव विधायी प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावकारी ढंग से किया जा रहा है।

रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री के समक्ष दाखिल की गई विभिन्न कार्रवाइयों में 61 आदेश पारित किए और संबंधित पक्षों को दैनिक आदेश पत्र तत्परता से प्रेषित किए गए।

विधायी कोष्ठ ने इंडिया ईयू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत, जापान सीईपीए नेगोसिएशन तथा इंडिया–ईएफटीए नेगोसिएशंस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामलों में विधायी परामर्श उपलब्ध कराया।

कृषि एवं सहकारिता विभाग को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना हेतु अग्रेषित किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं के मसौदे हैं : (क) पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय न्यायाधीकरण नियमावली, (ख) किस्मों के नाम के उपयोग संबंधी नियम (ग) नियम, 29, 33, 54 और तृतीय अनूसूची की सम्पूर्ण व्यापकता लिए हुए पीपीवी और एफआर संशोधन नियमावली तथा (घ) सामान्य ज्ञान की किस्मों की सुरक्षा की अवधि को सीमित करने से संबंधित अधिसूचना।

विधायी, प्रकोष्ठ ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 की अभिव्यक्ति और कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर परामर्श और विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराई।

प्राधिकरण की नौवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विधायी प्रकोष्ठ भावी संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए विभिन्न मामलों में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए सभी आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करके उसका रखरखाव करेगा।

9- —"kdk d vf/kdkj

9-1 —"kdk dh fdLe

9.1.1 चावल की तीन कृषक किस्मों नामतः इंद्रासन, हंसराज और तिलक चंदन को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार भारत कृषक किस्मों का प्रमाण पत्र उपलब्ध करने वाला विश्व का पहला देश है। इन किस्मों के विशिष्ट गुण अनुबंध–6 में दिए गए हैं।

Jh 'kjn tk'kh] ekuuh; lkln] jkT; lHkk d"kd fdLeks dk iathdj.k iek.k i= inku djrs gq,

9.1.2 प्राधिकरण को विभिन्न फसलों की कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु 44 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सर्वाधिक आवेदन चावल के लिए थे (33) जिसके बाद चपाती गेहूं (6) और अरहर (2) तथा ज्वार, चना तथा राजमा, प्रत्येक के लिए एक–एक आवेदन प्राप्त हुआ।

9-1-3 —"kd fdLeks d iathdj.k grq le;&lhek c<kus d fy, jkt i= vf/klwpuk

भारतीय कृषि अब लगभग 3000 वर्ष पुरानी है और यह देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन है। चाहे बदलती हुई जलवायु हो, जैविक और अजैविक घटक हों या ऐसे ही कई अन्य घटक, भारतीय कृषि कसौटी में सदैव खरी उतरी है और कृषि के विकास को प्रभावित करने वाले इन घटकों का भारतीय कृषि ने तत्परता से सामना किया है। मैंडल की आनुवंशिकी से

पहले और लक्षित प्रजनन कार्यक्रमों के शुरू किए जाने के पूर्व अनेक उच्च अनुकूलनशील और सबल किस्मों को मनुष्य ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से चुना था और ये अब भी कृषक किस्मों के रूप में परंपरागत रूप से संरक्षित होती आ रही है। ये किस्में न केवल भावी प्रजनन कार्यक्रमों के लिए जीनों का एक सशक्त स्रोत है वरन इनमें जलवायु के उतार–चढ़ाव को सहन करने की अद्‌भुत क्षमता भी विद्यमान है। इस प्रकार, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इनकी अपार भूमिका और क्षमता है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में प्रावधान है कि कृषक और जनजातीय समुदाय को यह अवसर प्रदान किया जाए कि वे आगे आएं और अपनी परंपरागत किस्मों को पंजीकृत करवाएं। स्वामित्व के इन अधिकारों से बहुमूल्य जैव–विविधता को अनैतिक व गैर–कानूनी शोषण से सुरक्षा प्राप्त होगी और इसके साथ ही इन किस्मों के संरक्षकों व अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ की भागीदारी में सहायता मिलेगी।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 हाल ही में सक्रिय हुआ है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसे जन–समुदाय, विशेषकर ग्रामीण समुदायों की जानकारी में लाया जाए। कृषकों, प्रजनकों और जन–सामान्य में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि विज्ञान केन्द्रों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा स्वयं सेवी संगठनों आदि के माध्यम से अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और यह 2005 से अर्थात तब से किया जा रहा है जब से अधिनियम लागू किया गया है। तथापि, वर्ष 2009 तक यह अनुभव किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के प्रति कृषकों में जागरूकता की कमी है और यह उस सीमा तक नहीं है, जितनी होनी चाहिए। इस प्रकार वे परंपरागत कृषक किस्मों के पंजीकरण के महत्व को समझ नहीं पा रहे। कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए कम प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कृषक किस्मों के पंजीकरण की तिथि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और ऐसा राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 783(अ) दिनांक 27 अक्तूबर 2009 के माध्यम से किया जा चुका है। ऐसी आशा है कि समय–सीमा के इस विस्तार से कृषकों और कृषक समुदायों को अपनी परंपरागत किस्मों को पंजीकृत कराने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा।

9.1.4 'झारखंड और मेघालय में चावल–जैवविविधता संरक्षण और कृषकों के अधिकार पर प्रशिक्षण' शीर्षक की एक परियोजना जीन कैम्पेन, नई दिल्ली को स्वीकृत की गई। इसका परिव्यय 28.90 लाख रुपये है तथा अवधि 3 वर्ष है। इसका उद्‌देश्य झारखंड और मेघालय के ग्रामीण और जनजातीय समुदायों में पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रति जागरूकता के साथ–साथ चावल की जैव–विविधता को संग्रहित करना और उसका संरक्षण पंजीकरण करना है।

9-2 jk"Vªh; thu fuf/k

9.2.1 राष्ट्रीय जीन निधि का गठन कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के शासकीय आदेश सं. 1–11/2005–एसडी–वी/(पार्ट) दिनांक 26 मार्च 2007 के अनुसार किया गया। राष्ट्रीय जीन निधि के लिए अलग से बैंक खाता खोला गया और इसके लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 1–1/2005–एसडी–वी/(पार्ट) दिनांक 28 मार्च 2007 के द्वारा 50.00 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी की गई। वर्तमान में, जमा की गई राशि पर मिले ब्याज को जोड़कर

राष्ट्रीय जीन निधि में 56 लाख रुपये की राशि है। राष्ट्रीय जीन निधि को कुछ अन्य स्रोतों से भी धनराशि प्राप्त होगी। ये स्रोत हैं :

(i) भारत सरकार से अनुदान (वर्तमान योजना के लिए ईएफसी में 200.00 लाख रुपये स्वीकृत)

(ii) पंजीकृत किस्मों के बीजों की बिक्री से प्राप्त होने वाला वार्षिक शुल्क (यह राशि राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.2182(ई) दिनांक 26 अगस्त 2009) के द्वारा निर्धारित की गई है।

(iii) धारा 26 के अंतर्गत लाभ में भागीदारी से प्राप्त होने वाली राशि।

(iv) धारा 41 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से प्राप्त होने वाली राशि

(v) किसी भी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से दान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।

9.2.2 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' का गठन

नियम 70(2) के प्रावधानों के अनुसार जिसमें अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत सृजित जीन निधि के लिए आवेदन करने की क्रियाविधि परिभाषित की गई है :

''जीन निधि का उपयोग अग्रता के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। :

(i) विशेषकर जन–जातीय, ग्रामीण समुदायों के कृषकों, कृषक समुदायों को सहायता प्रदान करने और पुरस्कृत करने के लिए, ताकि वे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन संबंधियों, के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, सुधार और परिरक्षण कर सकें। कृषि–जैवविविधता के हॉट–स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में यह प्रावधान विशेष रूप से लागू किया गया है।''

(ii) लाभ में भागीदारी के लिए निधियों का आदानीकरण

(iii) आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सहायता प्रदान करना।

इन प्रावधानों के अंतर्गत 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' का गठन किया गया। ये पुरस्कार वार्षिक होंगे और अधिकतम 5 पुरस्कार होंगे जिनमें से प्रत्येक की राशि 10 लाख रुपये होगी। ये पुरस्कार 2009–10 वित्त वर्ष से दिए जाएंगे।

9-3 tkx:drk dk;Øe

9-3-1 ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkjk dh lj{kk ij vul/kku ,o mÙkj Hkkjr e if'k{k.k d fy, dUn % यह केन्द्र पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रति जागरूकता सृजित करने और किसानों को अपने आवेदन पत्र भरने में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय ने प्रकाशनों, किसान मेलों, प्रशिक्षण

एवं जागरूकता कार्यक्रमों आदि के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। वित्त वर्ष 2009–10 तथा परियोजना के अंत तक 2 लाख से अधिक किसानों, चार सौ छात्रों/विस्तार स्काउटों, 200 वैज्ञानिक एवं विकास कर्मचारियों तथा अन्य को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया।

पंजाब राज्य के किसानों और विकास कर्मियों ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में जानकारी प्राप्त करने की दिशा में बहुत उत्साह प्रदर्शित किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से चलाई गई जागरूकता सृजन संबंधी परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न भागों से किसान आए और उन्होंने इस अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त की।

9.3.2 'व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों के सृजन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना' परियोजना जो भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग द्वारा लागू की गई थी, सफलतापूर्वक पूरी हुई। केन्द्र ने विभिन्न स्तर के प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए और विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस परियोजना के लिए प्राधिकरण द्वारा 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

9.3.3 एक स्वयं सेवी संगठन, यथा तमिल नाडु साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिला पुदुकोट्टई (तमिल नाडु) ने विशेष जागरूकता अभियान चलाते हुए इस जिले के 13 विकास खंडों में 13 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और 1000 से अधिक किसानों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाया। इसके लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने इस स्वयं सेवी संगठन को रू 54,270/– का अनुदान स्वीकृत किया था।

rfey ukM e ,d Lo; loh lxBu }kjk ihihoh vkj ,Qvkj vf/kfu;e d ckj e indkVVb ftyk d 13 fodkl [kMk e pyk, x, tkx:drk dk;Øe cgr lQy jg

9.3.4 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश; उड़ीसा आदि के कृषि–जैवविविधता वाले हॉट–स्पॉट क्षेत्रों में पड़ने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों को लक्ष्य में रखते हुए दो दिवसीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित समन्वयक अब ग्रामों में जागरूकता शिविर लगाएंगे और इनमें अन्य प्रशिक्षणों के साथ–साथ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रति जागरूकता से संबंधित व्याख्यान भी दिए जाएंगे।

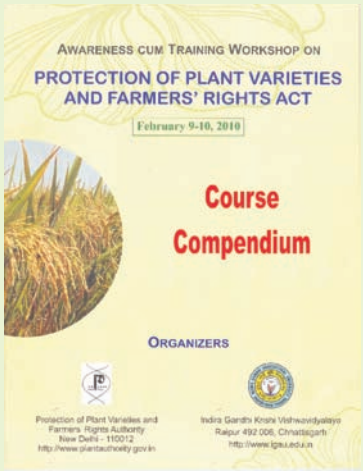

xk/kh df"k fo'ofo|ky;] jk;iqj us dk;Øe leUo;dk d if'k{k.k d fy, ikB;Øe dEifM;e fodflr djd efnr djk;k

9.3.5 उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रति जागरूकता के सृजन की दृष्टि से भा.कृ.अ.प. के शिलांग स्थित उत्तर–पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए स्थापित क्षेत्रीय केन्द्र और जोरहट स्थित असम कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न राज्यों में 11 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनके लिए प्राधिकरण ने धनराशि उपलब्ध कराई थी।

vle df"k fo'ofo|ky;] tkjgV ea vk;kftr if'k{k.k o tkx:drk dk;Øe

9.3.6 कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और विकास कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

9.3.7 बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, नादिया में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।

9.3.8 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों और स्वयं सेवी संगठनों द्वारा 40 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु 20,22,270/–रु. की राशि जारी की। विभिन्न संस्थानों को जारी की गई राशि निम्नानुसार है :

Ø-l-	jkf'k fdls tkjh dh xbl	mnns';	tkjh dh xbl jkf'k ¼#i;k e½
1.	तमिल नाडु साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पुदुकोट्टई जिला (तमिल नाडु)	जिले के 13 विकास खंडों में 13 प्रशिक्षण	54,270
2.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौर, उत्तरकाशी में 01 प्रशिक्षण	60,000
3.	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमरोई रोड, उमियम, मेघालय	नागालैंड में 01, जागरूकता कार्यक्रम	60,000
4.	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमरोई रोड, उमियम, मेघालय	त्रिपुरा और मेघालय में 02 जागरूकता कार्यक्रम	120000
5.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर–208002	बांदा, अलीगढ़, मैनपुरी और फिरोजाबाद में 04 जागरूकता कार्यक्रम	240000

Ø-l-	jkf'k fdl tkjh dh xbZ	mn~n';	tkjh dh xbZ jkf'k ¼#i;ksa esa½
6.	उ.पू.पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमरोई रोड, उमियम, मेघालय	नागालैंड के मोकोकचूंग, वोखा, फेक और मोम जिलों में 04 जागरूकता कार्यक्रम	240,000
7.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006, छत्तीसगढ़	कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण	1,38,000
8.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हि.प्र.)	बंजौरा (कुल्लू जिला) और धौलाकुंआ (सिमौर जिला) में 02 जागरूकता कार्यक्रम	1,20,000
9.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शालीमार कैम्पस, श्रीनगर	03 प्रशिक्षण कार्यक्रम : 1 मुख्य कैंपस में + 02 कृषि विज्ञान केन्द्रों में	1,80,000
10.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004	रीवा और जबलपुर 02 जागरूकता कार्यक्रम	1,20,000
11.	राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि विज्ञान केंद्रों, एनएआईपी बीज उत्पादकों और विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के लिए 04 जागरूकता कार्यक्रम	2,40,000
12.	कृषि संकाय, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	कृषि विज्ञान केन्द्र, करीमगंज, बागवानी अनुसंधान केन्द्र, कहीकुची, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, गोसाईगांव और क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, नागांव में 04 जागरूकता कार्यक्रम	2,40,000
13.	सचिव, आईएसईई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	आईएसईई की राष्ट्रीय संगोष्ठी में आईवीआरआई, इज्जतनगर में 01 जागरूकता कार्यक्रम	30,000
14.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर– 482004	जबलपुर में 02 जागरूकता कार्यशालाएं	1,20,000
15.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, डाकघर कल्याणी, जिला नाडिया–741235 (पश्चिम बंगाल)	01 जागरूकता कार्यशाला	60,000

9.3.9 प्राधिकरण कृषि जैव–विविधता संबंधी हॉट–स्पॉट्स को जन–सामान्य को दर्शाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक डाक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त 'नुक्कड़ नाटक' पर आधारित कृषक किस्मों के पंजीकरण पर भी एक फिल्म तैयार की जा रही है जिसे शीघ्र ही प्रदर्शित किया जाएगा। ये फिल्में सभी पणधारियों को विभिन्न स्तरों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वितरित की जाएंगी।

9.3.10 प्राधिकरण की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) से युक्त एक अनुभाग उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

9-4 fgUnh esa izdk'ku rFkk vU; fØ;kdyki

9.4.1 भारतीय पौधा किस्म जरनल के सभी अंक द्विभाषी अर्थात हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाते हैं।

9.4.2 प्राधिकरण की वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं।

9.4.3 सभी विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व प्रशिक्षण दिशानिर्देश द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए हैं।

9.4.4 प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाती है।

9.4.5 प्राधिकरण के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी के साथ बंगाली, पंजाबी आदि अन्य स्थानीय भाषाओं में व्याख्यान दिए गए।

9-5 vU; lxBuk d: lkFk lEid

- दिनांक 14 मई 2009 को प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन की अध्यक्षता में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में 'गेहूं रतुआ की जाति 77 का जीनोम विश्लेषण' पर एक सामुहिक चर्चा आयोजित की गई।
- डॉ. एस.नागराजन, डॉ. पी.के.सिंह और श्री डी.आर.चौधरी ने दि0 27.06.2009 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं राज्य के कृषकों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में व्याख्यान दिए।
- श्री डी.आर.चौधरी ने 23 और 24 जुलाई 2009 को क्रमशः कृषि विज्ञान केन्द्र, फरीदकोट और कृषि विज्ञान केन्द्र, भटिंडा में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा आयोजित 'प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाओं' में व्याख्यान दिए।
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने 11–12 अगस्त 2009 को केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर में डीयूएस प्रशिक्षण के लिए शीतोष्ण फलों व गिरीदार फसलों की विचारोत्तेजक बैठक में भाग लिया।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन के नेतृत्व में श्री आर.के.त्रिवेदी, श्री डी.आर.चौधरी, श्री डी.एस.राजगणेश और डॉ. ए.के.सिंह के प्रतिनिधि मंडल ने 22 अगस्त से 5 सितम्बर 2009 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विशिष्टता, एकरुपता एवं स्थायित्व परीक्षण केन्द्रों का भ्रमण करना; अनेक विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण स्थलों पर वैधानिक ढांचे का अध्ययन करना और सेमिनिस वेजिटेबल्स, सैक्रामेंटों (केलिफोर्निया); केलिफोर्निया विश्वविद्यालय (डेविस); डेल्टा एंड पाइन लैंड (मिसिसिपी), इलिनोइस क्रॉप इम्प्रूवमैंट सैंटर आदि का दौरा करना था। इसके साथ ही इन्होंने यूएसपीटीओ (एलेंक्जेंड्रिया) में आयोजित प्रशिक्षण में भी भाग लिया। इस दौरे के लिए धनराशि अमेरिकन सीड ट्रेड एसोसिएशन ने प्रदान की थी।
- डॉ. पी.के.सिंह ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में 24 अगस्त 2009 को 'कृषि अनुसंधान प्रबंध में 11वें कार्यपालक विकास कार्यक्रम' में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन' विषय पर व्याख्यान दिया।
- डॉ. ए.के.मल्होत्रा और डॉ. पी.के.सिंह ने वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर की ट्री ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। महापंजीकार डॉ. ए.के.मल्होत्रा ने श्री जॉन प्रशांत जैकब, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर द्वारा सम्पादित 'इंट्रोडक्शन टू फील्ड ओरिएंटेशन फॉरेस्ट एंटोमॉलोजी' शीर्षक की एक पुस्तक का विमोचन किया।

- डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने नई दिल्ली स्थित भा.कृ.अ.सं. के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग में 'सब्जी वाली फसलों के विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण के सिद्धांत एवं क्रियाविधियों' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 03.11.2009 को एक व्याख्यान दिया।
- डॉ. पी.के.सिंह ने तिरूअनंतपुरम में भारतीय विज्ञान कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय जैव–विविधता वर्ष 2010 के अवसर पर 7 जनवरी 2010 को 9.00–13.00 बजे तक 'जैवविविधता और टिकाऊ विकास' पर आयोजित विशेष सत्र में 'टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए कृषि जैवविविधता संरक्षण : पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के प्रयास' विषय पर आमंत्रण व्याख्यान दिया।
- डॉ. पी.के.सिंह ने 15.01.2010 को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) मिड कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) कार्यक्रम प्रावस्था 3 के अवसर पर आईसीएफआरई, देहरादून में एक प्रशिक्षण व्याख्यान दिया।
- डॉ. ए.के.मल्होत्रा और डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने ऑर्किड्स के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम में 24–25 फरवरी 2010 को 'ऑर्किडों के तीन गणों के लिए विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक' में भाग लिया।
- डॉ. पी.के.सिंह ने डॉ. अरविन्द कुमार, उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में 13.03.2010 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, उचानी, करनाल में पीपीवी और एफआर अधिनियम पर आयोजित जागरूकता कार्यशाला में व्याख्यान दिया।
- डॉ. पी.के.सिंह ने 9 मार्च 2010 को भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में भा.कृ.अ.प. आंचलिक प्रौद्योगिकी प्रबंध व व्यापार नियोजन और विकास पर आयोजित बैठक व कार्यशाला में 'पीपीवी और एफआर अधिनियम के विशेष संदर्भ में 'बौद्धिक संपदा प्रबंध और वाणिज्यीकरण' विषय पर आमंत्रित विशेष व्याख्यान दिया।

10- ikf/kdj.k ls lacf/kr vU; fØ;kdyki

10-1 ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj lj{k.k ikf/kdj.k dh cBd

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अंतर्गत स्थापित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने वर्ष 2009–10 के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं जिनमें से एक विशेष बैठक 7 दिसम्बर 2009 को प्राधिकरण की वार्षिक लेखा रिपोर्ट को अपनाने से संबंधित थी। दो नियमित बैठकें 29 सितम्बर 2009 तथा 12 मार्च 2010 को आयोजित की गईं। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं :

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि के लिए ईएफसी में स्वीकृत 21 नए पदों के लिए भर्ती नियमों की स्वीकृति।
- डॉ. एम.पी.नायर, पूर्व निदेशक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की अध्यक्षता में प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यबल की रिपोर्ट की प्रशंसा व उसे अपनाना। इस रिपोर्ट में भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में 22 कृषि जैवविविधता वाले हॉट–स्पॉट्स की पहचान की गई और उन्हें दो खंडों में प्रकाशित किया गया।
- विशेष रूप से कृषि जैवविविधता के हॉट–स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में लगे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों सहित कृषकों/कृषक समुदायों के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार की स्वीकृति (पीपीवी और एफआर अधिनियम की धारा 45 जिसे नियम 70 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार)।
- प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति।
- वित्त वर्ष 2010–11 के लिए बजट आकलनों की स्वीकृति।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नए परिसर (पौधा प्राधिकरण भवन) का निर्माण तथा गुवाहाटी और रांची में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना।

10-2 oSKkfud lykgdkj lfefr dh cBd

नियम 18(2) के प्रावधानों के अनुसार गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 5वीं बैठक विभिन्न मुद्दों पर प्राधिकरण को सलाह देने के लिए नई दिल्ली में 7 अगस्त 2009 को भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. एच.के.जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने उन उगाई जा रही किस्मों की प्रजातियों और परंपरागत किस्मों की सुरक्षा के लिए क्रियाविधियों के विकास पर बल दिया जिनका भारतीय कृषि में विशेष स्थान है और जो राष्ट्रीय संपत्ति हैं।

समिति ने बहुवर्षीय बागवानी फसलों पर अलग समिति गठित करने की अनुशंसा की तथा बहुवर्षीय बागवानी फसलों के पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आने वाले विभिन्न तकनीकी मुद्दों की

जटिलताओं पर भी सुझाव दिए। वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने पंजीकरण की दूसरी प्रावस्था में जिन फसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए उनके संबंध में परामर्श दिया। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्राधिकरण द्वारा स्थानीय भाषाओं में देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाने वाले विचारोत्तेजक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की सराहना की। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को अन्य स्थानों पर भी आयोजित करने का परामर्श दिया।

10-3 dk;Øe] fu;kstu vkj uhfr lfefr dh cBd

कार्यक्रम, नियोजन और नीति समिति की चौथी बैठक कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की पूर्व सचिव सुश्री राधा सिंह की अध्यक्षता में 11 दिसम्बर 2009 को आयोजित की गई। सात सदस्यों यथाः डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण; श्री मनोज कुमार सिंह, आईएएस, आयुक्त, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश शासन; डॉ. पी.एस.मिन्हास, अनुसंधान निदेशक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; डॉ. नजीर अहमद, निदेशक, केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर; डॉ. एस.के.शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली; डॉ. एस.एडीसन, पूर्व निदेशक, केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान; डॉ. एन.कृष्णकुमार, आईएफएस, निदेशक, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर; डॉ. पी.के.सिह, रजिस्ट्रार सदस्य–सचिव ने इस बैठक में भाग लिया। इनके साथ–साथ प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन, एवं महा पंजीकार डॉ. ए.के.मल्होत्रा, आईएफएस तथा प्राधिकरण के अन्य उच्च अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। प्राधिकरण के चालू क्रियाकलापों के अतिरिक्त प्राधिकरण के कार्यालय परिसर की इमारत, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष परीक्षणों को शुरू करने और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन, नियमों, वार्षिक शुल्क, फार्म, आदि में प्रस्तावित संशोधनों, स्वयं सेवी संगठनों को धनराशि आबंटित करने, पादप जीनोम संरक्षित पुरस्कारों, फील्ड जीन बैंकों को खोलने, क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ–साथ अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया।

10-4 ifj;kstuk eY;kdu lfefr dh cBdk

परियोजना मूल्यांकन समिति की दो बैठकें जुलाई 2009 और मार्च, 2010 महीनों में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, के पूर्व निदेशक (अनुसंधान) डॉ. बी.एल.जलाली की अध्यक्षता में पीपीवी और एफआरए को प्रस्तुत की गई नई परियोजनाओं के निधि स्कीकृत करने के लिए और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गईं। ऐसी सभी परियोजनाएँ जो एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि पूरी कर चुकी हैं, की समीक्षा की गई और प्रत्येक के संबंध में आवश्यक अनुशंसाएं की गईं। इन दो बैठकों में 30 से अधिक नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया और इनमें से 12 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई।

10-5 fon'k Hkze.k

10-5-1 l;Dr jkT; vefjdk e Mh;,l ijh{k.k LFkyk vkj vul/kku dUn dk Hkze.k

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन की अध्यक्षता में एक शासकीय प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूएसपीटीओ में 23 अगस्त से 05 सितम्बर 2009 तक अनेक विशिष्टता, एकरुपता और स्थायित्व परीक्षण स्थलों, अनुसंधान केन्द्रों, बीज प्रमाणीकरण केंद्रों, सहकारिताओं आदि का दौरा किया। यह दौरा एएसटीए (अमेरिकन सीड ट्रेड एसोसिएशन) के सौजन्य से आयोजित हुआ था। सब्जियों, वाणिज्यिक प्रजातियों (कपास तथा अन्य फसलों पर डीयूएस परीक्षण क्रियाविधियों पर चर्चा की गई)। ठेकों तथा पंजीकृत पौधा किस्मों को लाइसेंस देने, केलीफोर्निया और इलिनॉस में बीज प्रमाणीकरण प्रणाली पर भी चर्चा हुई। दल को डेल्टा पाइन लैंड कंपनी में डीएनए क्रमीकरण की दिशा में हुए नवीनतम विकासों तथा इलिनॉस फाउंडेशन सीड्स आदि में ट्रेड इंट्रोग्रेशन कार्यक्रम से भी अवगत कराया गया।

अंतिम चरण में 31 अगस्त से 2 सितम्बर तक प्रतिनिधि मंडल ने मैरिलैंड स्थित यूएस प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ऑफिस का दौरा किया और पीवीपीओ आयुक्त डॉ. पॉल जॉन्कोवहस्की के साथ चर्चा की और इस प्रकार यूएस पीपीवी अधिनियम, नियमों और विनियमों, यूएस पीवीपीओ परिचालनों, आवेदनों को प्रसंस्कृत करने की क्रियाविधियों, डेटाबेस, गुणवत्ता सुनिश्चितता समीक्षा, पीवीपी अधिकारियों के साथ प्रजनकों के संबंध की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और इसके साथ ही पौधा किस्म आवेदन (आवेदनों) से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार–विमर्श के लिए अनेक परीक्षकों से भी मुलाकात की। इसके अलावा ग्लोबल इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी अकादमी (यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय), एलेक्जेंड्रिया में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें अनेक उद्योग प्रतिनिधियों, पादप प्रजनकों, पेटेंट एटर्नियों और परामर्शकों ने यूएस पौधा किस्म सुरक्षा अधिनियम, यूएस पेटेंट अधिनियम, पौधा किस्म सुरक्षा की उपोव प्रणाली, कानूनी मुद्दों तथा व्यापार से जुड़े मुद्दों पर अपने–अपने प्रस्तुतीकरण दिए।

10-5-2 f}rh; fo'o cht lEeyu e Hkkx yu d fy, jke dk nkjk

प्राधिकरण के रजिस्ट्रार (बागवानी) डॉ. मनोज श्रीवास्तव उस भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे जिसने 8–10 सितम्बर 2009 के दौरान रोम (इटली) में आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन विशेष रूप से नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, बीज कंपनियों, प्रजनक एसोसिएशनों, विभिन्न पणधारियों (प्रमाणीकरण एजेंसियों, बीज विश्लेषकों, बीज व्यापारियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं), कृषक संगठनों, उपभोक्ता संगठनों, अंतरराष्ट्रीय प्रजनन एवं बीज अनुसंधान केन्द्रों के लिए आयोजित किया गया था। कृषकों के अधिकार और कृषको को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने उठाया जिस पर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा हुई।

विश्व बीज सम्मेलन की कुछ मुख्य अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :

(i) संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की उपलब्धता, पहुंच की बहु प्रणाली और आईटीपीजीएफआरए के साथ लाभ की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ii) उपोव द्वारा पौधा किस्म संरक्षण की प्रभावी प्रणाली विकसित की गई। पौधा प्रजनन और बीज आपूर्ति में टिकाऊ योगदान के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

(iii) आईएसटीए ने बीज गुणवत्ता निर्धारण के मानदंड स्थापित किए हैं जो सफल कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है।

(iv) कृषकों की भागीदारी के लिए अंतरराष्ट्री बीज व्यापार की सशक्त वृद्धि का कारण पादप स्वच्छता संबंधी उपायों पर अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य प्रमाण पत्र, प्रयोगशाला परीक्षण, किस्मगत प्रमाणीकरण आदि हैं।

10-6 iLrdk vkj fu;e ifLrdkvk ¼euvYl½ dk foekpu

10-6-1 df"k to&fofo/krk d gkV&LikV l ij iLrd dk foekpu

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉ. एम.पी.नायर की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था जिसमें विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में 22 हॉट–स्पॉट की पहचान की और इसकी रिपोर्ट दो खंडों में प्रकाशित हुई। इनका विमोचन माननीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रसार) भारत सरकार श्री जयराम रमेश ने प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन, माननीय सांसद राज्य सभा; डॉ. एस. नागराजन, अध्यक्ष (पौ.कि.कृ.अ.स. प्राधिकरण); डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष (राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण); डॉ. एम.पी.नायर; डॉ. के. एन.नायर (एनबीआरआई) और सुश्री सिबेल सूटर (कंट्री डायरेक्टर, स्विस एजेंसी फार डेवलपमेंट एंड कोपरेशन) की उपस्थिति में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई में 19 अगस्त 2009 को आयोजित एक समारोह में किया। दो खंड का एक प्रकाशन देसी कृषि जैव–विविधता के सार्वभौमिक अधिकारों के विस्तार में महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण चैन्नई और एम.एस.स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई के सहयोग से 'जलवायु परिवर्तन के युग में कृषि जैव–विविधता हॉट–स्पॉटों का प्रबंध' विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श का भी आयोजन किया। इस परामर्श में अनेक वैज्ञानिकों, जैव–विविधता संरक्षण के विशेषज्ञों, कृषक समुदायों के प्रतिनिधियों तथा सिविल सोसायटी ने भाग लिया।

Jh t;jke je'k] ekuuh; jkT; e=h] Hkkjr ljdkj] ,e,l,lvkj,Q e df"k to&fofo/krk gkV&LikV d idkf'kr [kMk dk foekpu djr g,

10.6.2 जीन बैंक मैनुअल का विमोचन

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है कि डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व) परीक्षण बीजों पर एक बार किया जाना चाहिए और इसके लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जाना चाहिए। नियम 29 (1) में प्रावधान है कि डीयूएस परीक्षण और विशेष परीक्षणों के लिए प्रस्तुत की गई पंजीकरण आधीन किस्मों का निर्धारित बीज व पैतृक वंशक्रम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा कराए जाने चाहिए। धारा 27 के अंतर्गत आवेदक/प्रजनक को पंजीकृत किस्मों के संकरों के पैतृक वंशक्रमों सहित बीजों/रोपण सामग्री को जमा कराना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उनका उपयोग पुनः सामग्री उगाने के लिए किया जा सके। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का राष्ट्रीय जीन बैंक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के पुराने परिसर में 'परंपरागत' अथवा 'सच्चे' बीजों (उदाहरणतः चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, टमाटर, तोरिया, सरसों आदि) को 'मध्यावधि भंडारण' के लिए स्थापित किया गया है, ताकि प्रत्याशी किस्मों का पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण कराया जा सके। इससे संबंधित 'गाइडलाइंस फार स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड प्लांट वेराइटीज़ इन द नेशनल जीन बैंक' शीर्षक का एक प्रकाशन श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार ने लिखा है। इस मैनुअल या नियम पुस्तक में पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए उनके भंडारण और रखरखाव के साथ–साथ परंपरागत बीजों की साज–संभाल की क्रियाविधियों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले कानूनी मुद्दों, विशिष्ट बीज गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए बीजों की आपूर्ति से संबंधित अपेक्षाओं, सुरक्षा अवधि के दौरान मध्यावधि भंडारण, अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा अन्य ऐसे मुद्दों का वर्णन है जो प्राधिकरण के जीन बैंक को उन अन्य जीन बैंकों से विशिष्ट बनाते हैं जिनमें सामान्यतः 'जननद्रव्य' का संरक्षण किया जाता है। यह पुस्तिका अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित बीजों और रोपण सामग्री के भंडारण से संबंधित मुद्दों पर वैधानिक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इस पुस्तिका का विमोचन श्री टी. नंद कुमार, सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि मंत्रालय ने 21 दिसम्बर 2009 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया।

श्री टी. नंद कुमार, सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) जीन बैंक पुस्तिका का विमोचन करते हुए

10.6.3 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विमोचन

प्राधिकरण ने फिलहाल 21 अधिसूचित फसल प्रजातियों की पौधा किस्मों का पंजीकरण आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त 8 सब्जी वाली फसलों नामतः आलू (*सोलेनम ट्यूबरोसम* एल.), लहसुन (*एलियम सेटाइवम* एल.), प्याज (*एलियम सेपा* एल.), टमाटर (*लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम* एल.), बैंगन (*सोलेनम मेलान्जेना* एल.), बंदगोभी (*ब्रैसिका ओलिरेसिया* एल. किस्म *कैपिटाटा*), फूलगोभी (*ब्रैसिका ओलिरेसिया* एल. किस्म *बोट्राइटिस*) और भिण्डी [*एबलमॉस्कस एस्क्यूलैंटस* (एल) मोयंक] ; 8 तिलहनी

फसलों नामतः सरसों (*ब्रैसिका* प्रजातियां), मूंगफली (*ऐरेकिस हाइपोज़िया* एल.), अरण्ड (*रिसीनस क्यूमिनिस* एल.), अलसी (*लाइनम यूसिटेसिटिनम* एल.), तिल (*सीसेमम इंडिकम* एल.), सूरजमुखी (*हेलियंथस एनस* एल.), कुसुम (*कार्थेमस टिन्कटोरियस* एल.), सोयाबीन [*ग्लाइसीन मैक्स* (एल.)मैरिल]; एक फल वृक्ष, एक पुष्प नामतः आम (*मैंजीफेरा इंडिका* एल.) और गुलाब (*रोज़ा* प्रजातियां एल.) के लिए डीयूएस अर्थात् विशिष्टता एकरूपता और स्थायित्व संबंधी परीक्षणों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया गया है। सब्जियों, आम तथा पुष्पों के लिए दिशानिर्देशों का विमोचन भा.कृ.अ.प. के पूर्व महानिदेशक तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव, डॉ. आर.एस.परोदा ने किया, जबकि आठ तिलहनों फसलों के लिए दिशानिर्देशों का विमोचन योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.एल.चोपड़ा ने किया। ये दोनों महानुभाव कृषक किस्मों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए 21 दिसम्बर 2009 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली के व्याख्यान कक्ष में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री शरद जोशी थे जबकि कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव (कृषि) श्री टी. नंद कुमार सम्मानीय अतिथि थे।

Mk- vkj-,l-ijknk] iol egkfun'kd] Hkk-d-v-i- Mh;,l ijh{k.k fn'kkfun'kk dk foekpu djr g,

10-7 ik/kk ikf/kdj.k Hkou dk fuek.k

भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री के आदेश से टोडापुर (नई दिल्ली) में भा.कृ.अ.सं. की 7.5 एकड़ भूमि नवम्बर 2005 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को आबंटित की गई जिसमें प्राधिकरण का कार्यालय तथा अन्य इमारतों का निर्माण किया जाना है। इसमें से भा.कृ.अ.सं. ने 2.466 एकड़ भूमि प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी है। हस्तांतरित की गई इस भूमि का 2.201 एकड़ क्षेत्र गैर–प्राधिकृत तथा गैर–कानूनी कब्जे में है जिसमें झुग्गियां बसी हुई हैं। इस प्रकार, कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए मात्र 0.445 एकड़ भूमि रह जाती है। शेष बची भा.कृ.अ.सं. की भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.034 एकड़ है, संस्थान द्वारा सलवान शिक्षा न्यास के साथ चल रहे विवाद के निपटारे के बाद स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का इस भूमि खंड पर कार्यालय परिसर (पौधा प्राधिकरण भवन) निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसका शेष भूमि मिलने के बाद विस्तार किया जाएगा। प्राधिकरण ने सरकारी/निजी क्षेत्र के संगठनों से टर्नकी आधार पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' से संबंधित आवेदन आमंत्रित करने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे इसकी वेबसाइट पर डाला गया है तथा प्रमुख

समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन भी दिया गया है। इनमें कार्य के क्षेत्र तथा प्राधिकरण की आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण है।

10-8 ekuo lalk/ku fodkl lac/kh fdz;kdyki

- डॉ. रमेश कुमार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंध संस्थान (एनआईआईपीएम), नागपुर में 28–29 अप्रैल 2009 को आयोजित 'भारत में आईपीआर और पेटेंटिंग प्रणाली' विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- श्री उमाकांत दुबे, उप–रजिस्ट्रार और श्री रबी रमन प्रधान, विधिक सलाहकार ने 9–10 जुलाई 2009 को एनआईआईपीएम, नागपुर में 'पेटेंट सर्च' पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- प्राधिकरण के स्टॉफ को अपने उत्तरदायित्वों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्राधिकरण परिसर में 22 अगस्त 2009 को 'प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में कार्यालयीन क्रियाविधि' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा श्री आलोक जवाहर, अनुभाग अधिकारी (कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय) तथा श्री पुष्पनायक, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के स्टॉफ के साथ विचार–विमर्श किया तथा व्याख्यान दिए।
- श्री अरविंद कुमार राय, कम्प्यूटर सहायक ने 23–27 नवम्बर 2009 के दौरान सी–डैक, मोहाली में ई–सुरक्षा पर आयोजत पांच दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।
- डॉ. ए.के.मल्होत्रा, महा पंजीकार तथा डॉ. डी.एस.पिलानिया, तकनीकी सहायक ने सतगुरू फाउंडेशन – कॉर्नल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 27–31 मार्च 2010 को गोआ में 'वैश्विक जैव–सुरक्षा प्रबंध कार्यक्रम' पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया।

11- foÙkh; vk[;k

प्राधिकरण के लेखे वित्त वर्ष 2007–08 तक परंपरागत एकल प्रविष्टि प्रणाली पर रखे गए थे। विगत दो वर्षों से ये लेखे लेखाकरण की प्रोद्भवन (एक्रुअल) प्रणाली अर्थात् लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर रखे जा रहे हैं। आवश्यक लेखाकरण नीतियां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखाकरण संबंधी मानकों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। लेखा संबंधी सभी बहीखाते अर्थात् कैश बुक, लेजर, जर्नल आदि रखे जा रहे हैं। राजस्व तथा व्यय मान्यीकरण के लेखाकरण संबंधी सिद्धांतों को सावधानी से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक माह परीक्षण तुलन–पत्र तैयार किया जाता है। बैंक विवरण तथा बहीखाते का प्रतिमाह मिलान किया जाता है।

इस प्रकार, अंततः वित्त वर्ष 2009–10 के लेखे लेखाकरण की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए और सक्षम प्राधिकारी ने इन्हें अनुमोदित किया। भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुसार प्राधिकरण के लेखे निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए और आवश्यक विवरणों के साथ प्रस्तुतीकरण

की अंतिम तिथि दि0 30.06.2010 के पूर्व नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए। निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ट्रांजक्शन लेखापरीक्षा करने के लिए एक लेखापरीक्षा दल नियुक्त करेगा तथा लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

प्राधिकरण को 2009–10 वित्त वर्ष के दौरान कुल 536 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की आरंभिक शेष राशि तथा कुल प्राप्त हुए अनुदान की कुल 117.33 लाख रुपये की राशि में से प्राधिकरण ने 638.39 लाख रुपये (97.7%) का उपयोग नकद आधार पर वित्त वर्ष के अंत तक कर लिया था। इस संदर्भ में उपयोग प्रमाण पत्र कृषि एवं सहकारिता विभाग को उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है।

तुलन–पत्र, आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों से संबंधित लेखे की एक प्रति अनुबंध–7 पर प्रस्तुत की गई है।

12- fof'k"V vfrfFk

- दिनांक 23–24 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में कृषि–जैवप्रौद्योगिकी पर तीसरी भारत–अमेरिकी संयुक्त कार्य दल की बैठक।
- अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 4 मई 2009 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का दौरा किया और प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विचार–विमर्श किया।
- एनएएससी काम्पलैक्स में 22 अक्तूबर 2009 को भारत–फ्रांसिसी संयुक्त कार्य दल की बैठक।
- दिनांक 3 दिसम्बर 2009 को नाइज़ीरिया सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन तथा अन्य अधिकारियों से विचार–विमर्श किया।
- मि. डेविड जे.स्पेइलमैन, रिसर्च फैलो, नॉलेज, कैपेसिटी एंड इनोवेशन डिवीजन, आईएफपीआरआई, वांशिग्टन डी.सी. के साथ दिनांक 24 फरवरी 2010 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें भा.कृ.अ.प. परियोजनाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई।
- सुश्री फिलिपी बेइरिस, काउंसलर (कृषि), फ्रांसिसी दूतावास ने 25 मार्च 2010 को प्राधिकरण के अध्यक्ष से विचार–विमर्श किया। प्रतिनिधि महोदया को प्राधिकरण की उपलब्धियां से अवगत कराया गया।

vuqca/k 1
ihihoh vkj ,Qvkj ikf/kdj.k dk lnL;
¼31-03-2010 dks vuqlkj½

	डॉ. एस.नागराजन अध्यक्ष पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने नई दिल्ली–110012	v/;{k
lnL; %		
1.	डॉ. गुरबचन सिंह कृषि आयुक्त भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली–110114	inu
2.	डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110114	inu
3.	सुश्री उपमा चौधरी संयुक्त सचिव (बीज) भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली–110114	inu
4.	डॉ. गोरख सिंह बागवानी आयुक्त भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली–110114	inu
5.	डॉ. एस.के.शर्मा निदेशक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा कैम्पस नई दिल्ली–110012	inu
6.	डॉ. एस. नातेश सलाहकार ग्रेड–1 भारत सरकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	inu
7.	श्री सतीश चन्द्र संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार कानून एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली–110001	inu
8.	संयुक्त सचिव (जैवसुरक्षा से संबंधित) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	inu

9.	श्रीमती रेचल चटर्जी, आईएएस प्रधान सचिव, (कृषि) आंध्र प्रदेश सरकार डी ब्लॉक, प्रथम तल, कमरा नं. 273 सचिवालय कार्यालय, हैदराबाद	inu
10.	डॉ. एस.एन.पुरी कुलपति केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर इम्फाल–795001	inu
11.	श्री रोशन लाल, आईएएस वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, (कृषि) कमरा नं. 430, चौथा तल, सैक्टर–17 नई हरियाणा सचिवालय इमारत चंडीगढ़–160017	inu
12.	श्री राजू बरवाले प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कारपोरेशन लिमिटेड (मायको) जालना– 431 203 (महाराष्ट्र)	cht m|kx l: ukfer ifrfuf/k
13.	श्री ए.सी.जोनुनमाविया समन्वय एवं अध्यक्ष, सैंटर फॉर एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बी–27/1, टुईकुल दक्षिण आइज़ोल–796001, मिज़ोरम	vu|lfpr tutkfr l: ukfer ifrfuf/k
14.	श्री पी. नारायण उन्नी नवरा इको फार्म, करूकामणि कालम, चित्तोर कॉलेज पो. ओ. जिला पालकाड, केरल–678 104	Ñ"kdk d: ukfer ifrfuf/k
15.	डॉ. (श्रीमती) वनाजा रामप्रसाद प्रबंधक न्यासी, ग्रीन फाउंडेशन, 570/1 पदमावती निले, चौथा क्रॉस, तृतीय मेन एन.एस.पाल्या, बीटीएम, सैकंड स्टेज बंगलुरू–560076 (कर्नाटक)	efgykvk dh ukfer ifrfuf/k
lnL; & lfpo %		
	डॉ. ए.के.मल्होत्रा, आईएफएस महा पंजीकार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग टोडापुर के निकट नई दिल्ली–110012	inu lnL;&lfpo

vuqca/k 2
ekuo lalk/ku dk fooj.k
¼31 ekpZ 2010 dh vuqlkj½

in dk uke	Hkjs x, in	fjDr in	vfHk;fDr;k
डॉ. एस.नागराजन अध्यक्ष वेतनमान – 80,000रु. (निर्धारित)	1	-	-
श्री प्रेम नारायण डॉ. ए.के.मल्होत्रा महा पंजीकार वेतनमान – 37400–67000रु. (12000रु. ग्रेड पे के साथ)	1	-	12.06.2009 तक 28.08.2009 से
श्री आर.के.त्रिवेदी डॉ. मनोज श्रीवास्तव डॉ. पी.के.सिंह पंजीकार वेतनमान – 37400–67000रु. (8700 रु. ग्रेड पे के साथ)	3	-	24.04.2009 से 14.05.2009 से
वित्तीय सलाहकार वेतनमान – 37400–67000रु. (8700 रु. ग्रेड पे के साथ)	-	1 व्यक्ति का चयन हो गया है और शीघ्र ही उसके पद भार ग्रहण करने की संभावना है	
श्री डी.आर.चौधरी संयुक्त पंजीकार वेतनमान – 15600–39100रु. (7600 रु. ग्रेड पे के साथ)	1	1 व्यक्ति का चयन हो गया है और शीघ्र ही उसके पद भार ग्रहण करने की संभावना है	
श्री उमा कांत दुबे उप पंजीकार (तकनीकी) वेतनमान – 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	1	-	-
श्री डी.एस.राजगणेश श्री आर.आर.प्रधान विधि सलाहकार वेतनमान – 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	2	-	16.04.2009 से
श्री राजीव तलवार वरिष्ठ लेखा अधिकारी वेतनमान – 15600–39100रु. (6600 रु. ग्रेड पे के साथ)	1	-	-

डॉ. रमेश डॉ. ए.के.सिंह डॉ0 सुशील कुमार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी वेतनमान – 9300–34800रु. (4600 रु. ग्रेड पे के साथ)	3	-	-
श्री अरविंद कुमार श्री संजय कुमार गुप्ता श्री नीतेश कुमार वर्मा श्री अमीर उल्ला सिद्दीकी सुश्री शिप्रा माथुर सुश्री पूजा सेठी कम्प्यूटर सहायक वेतनमान – 9300–34800रु. (4200 रु. ग्रेड पे के साथ)	5	1 कम्प्यूटर सहायक के पद को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है	5.11.2009 तक
डॉ. डी.एस.पिलानिया तकनीकी सहायक वेतनमान – 9300–34800रु. (4200 रु. ग्रेड पे के साथ)	1	-	-
d|y	**19**	**3**	

vuqca/k 3
orZeku Mh;w,l dsUnzksa dk izkf/kdj.k }kjk miyC/k djkbZ xbZ foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø- l-	Mh;w,l dsUnz dk uke	Qly	2008&09 ds fy, ctV ¼#- yk[k esa½	tkjh dh xbZ fuf/k ¼#- yk[k esa½
1	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	बंदगोभी, फूलगोभी, भिण्डी, बैंगन, टमाटर, मटर (सब्जी), राजमा	7.50	शून्य
2	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, गुलाब, गुलदाउदी, मटर	8.00	6.00
3	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	कपास, चना, ज्वार	5.00	2.00
4	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	तोरिया एवं सरसों, गेहूं, अलसी	5.00	2.50
5	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	तिल, रामतिल, अलसी, मसूर, मटर	8.00	4.00
6	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर (पीसी चना, अरहर एवं मुलार्प)	अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, मटर (दाल किस्म), राजमा, चना	8.00	5.00
7	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	धान, बाजरा, उड़द	5.00	4.13
8	तिलहन निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी, कुसुम, अरण्ड	5.00	4.29
9	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मूंग, मक्का, उड़द	5.00	5.00
10	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	चना, बाजरा, ज्वार	4.00	4.00
11	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	7.50	7.43
12	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (क) पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग (ख) क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल (ग) क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर (घ) क्षेत्रीय केन्द्र, कटरायन	(क) दिल्ली (गुलाब एवं गुलदाउदी) (ख) करनाल (चावल) (ग) इंदौर (गेहूं) (घ) कटराईं (फूलगोभी एवं बंदगोभी)	14.00	1.50 (नई दिल्ली) शून्य (करनाल) 4.00 (इंदौर) 3.00 (कटरैन)
13	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरू नगर, पुणे	प्याज, लहसुन	4.00	4.00

14	सीपीआरआई, शिमला (सीपीआरआई मोदीपुरम के लिए भी)	आलू	5.00	5.00
15	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गन्ना	5.00	Nil
16	गन्ना प्रजनन संस्थान,कोयम्बत्तूर	गन्ना	4.00	4.00
17	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	गन्ना	3.00	3.00
18	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	गन्ना	4.00	3.00
19	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	पटसन	8.00	7.61
20	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	कपास, सोयाबीन, चपाती गेहूं, चावल, मक्का	5.00	3.98
21	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	चावल	5.00	4.26
22	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	चावल	7.50	3.75
23	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	मक्का, राजमा, सोयाबीन	4.00	4.00
24	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	4.00	2.00
25	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	ज्वार	5.00	1.52
26	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर	सोयाबीन	5.00	5.00
27	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	तोरिया एवं सरसों, तरामेरा	5.00	4.00
28	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	चपाती गेहूं	7.50	2.00
29	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	अरहर, कुसुम	4.00	1.00
30	परियोजना समन्वयक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, मंदौर	बाजरा	7.50	4.99
31	पीसी, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बत्तूर	कपास	7.50	4.00

32	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	कपास	5.00	3.82
33	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	कपास, गेहूं	5.00	4.00
34	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	मूंगफली	5.00	2.50
35	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	ऑर्किड	5.00	3.97
36	पीसी, अलसी चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	अलसी	4.00	2.00
37	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	चावल	4.00	2.00
38	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	हल्दी, अदरक, काली मिर्च और इलायची	5.00	2.50
39	जामनगर कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	अरण्ड	4.00	4.00
40	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	आम	5.00	3.50
41	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गुलाब और गुलदाउदी	4.00	Nil
42	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रति जागरूकता	4.00	Nil
		d|y ¼#- yk[k e½	**#- 232.00**	**#- 148.25**

vuqc/k 4

ikf/kdj.k }kjk ifj;kstukvksa dks inku dh xbZ foÙkh; lgk;rk dk fooj.k ¼2009&10½

Ø- l-	dUnz dk uke	ifj;kstuk	ifj;kstuk dh dqy ykxr ¼yk[k #- e½	vof/k ¼o"kksZa e½	2009&10 esa tkjh jkf'k ¼yk[k #- e½
1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	पूर्वी भारत की पारिस्थितिक प्रणाली के लिए स्वस्थाने स्थितियों के अंतर्गत फल वृक्षों और औषधीय पौधों की किस्मों के लिए सजीव रिपोजिटरी का रखरखाव	72.00	3	5.00
2.	एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई	एमएसएसआरएफ के सामुदायिक जीन बैंक में संरक्षण के अंतर्गत चावल की कृषक किस्मों का डीयूएस गुण–निर्धारण और मूल्यांकन	23.00	3	9.00
3.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली	क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण फलों और रोपण फसलों के लिए सजीव रिपोजिटरी का रखरखाव और विवरणों का विकास	143.00	3	5.00
4.	एस.डी.कृषि विश्वविद्यालय, सरदार क्रुशी नगर	दलहनों की वर्तमान किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन और शुद्धिकरण	23.03	3	15.41
5.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर	कैसूरीना और सफेदा या यूकेलिप्टस के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन	22.68	2	11.80
6.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोड, केरल	मसालों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र की स्थापना	14.30	2	5.00
7.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (भा.कृ.अ.प.), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	सेब और नाशपाती के लिए भारतीय कृषि स्थिति के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	19.60	3	9.80
8.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (भा.कृ.अ.प.), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	अखरोट और बादाम के लिए भारतीय कृषि स्थिति के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	33.00	3	15.4
9.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (भा.कृ.अ.प.), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	खुबानी और चेरी के लिए भारतीय कृषि स्थिति के अंतर्गत डीयूएस अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन	19.60	3	9.80

10.	राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	सिट्रस (*सिट्रस रेटिकुलेटा, सी. साइनेंसिस* और *सी. औरेंटिफोलिया*) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	45.356	3	5.00
11.	जीन कैम्पेन जे–235/ए, लेन डब्ल्यू–15सी, सैनिक फार्म्स, खानपुर नई दिल्ली–110062	झारखंड और मेघालय में कृषि जैव–विविधता संरक्षण तथा कृषकों के अधिकारों पर प्रशिक्षण	28.90	3	5.00
12.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में डीयूएस परीक्षण केन्द्र और गुलाब रिपोजिटरी को सबल बनाना	32.518	2	5.00
13.	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	प्रयोगशाला तथा फील्ड सुविधाओं, औषधीय, सगंधीय एवं बीज मसाला फसलों में डिजिटलीकरण तथा प्रशिक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र का सबलीकरण तथा डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास	25.70	3	2.50
14.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षित किस्मों के बीज भंडारण के लिए राष्ट्रीय पादप किस्म रिपोजिटरी की स्थापना		5	4.50
15.	औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद (गुजरात)	प्रयोगशाला तथा फील्ड सुविधाओं, औषधीय, सगंधीय एवं बीज मसाला फसलों में डिजिटलीकरण तथा प्रशिक्षण के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र का सबलीकरण तथा डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास	25.70	3	5.00
16.	वन महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, कोयम्बत्तूर	वृक्ष मसालों के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों का विकास तथा जीन बैंक की स्थापना	27.60	3	5.50
17.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	ग्रीन हाउस सुविधा का विकास (डीयूएस केन्द्र के अंतर्गत)	12.42	1	12.42
18.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	पौधा किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में उत्तरी क्षेत्र के किसानों को सचेत करना	11.26	3	2.80
	d|y				#-**133.93** yk[k

vuqc/k 5

ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj lj{k.k ikf/kdj.k dh lfefr;k¡ %
oKkfud lykgdkj lfefr ¼31&03&2010 dk½

1.	प्रो. वी.एल.चोपड़ा पूर्व सदस्य योजना आयोग, भारत सरकार ए3/210ए, जनकपुरी नई दिल्ली–110058	v/;{k
2.	डॉ. एस.मौर्या सहायक महा निदेशक (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन नई दिल्ली	lnL;
3.	डॉ. एस.रवि शंकर निदेशक केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान भा.कृ.अ.प., रहमानखेड़ा, पो आ काकोरी लखनऊ–227 107	lnL;
4.	डॉ. एन. विजयन नायर निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बत्तूर–641007 (तमिल नाडु)	lnL;
5.	डॉ. अमरीक सिंह सिद्धू निदेशक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा लेक पोस्ट बंगलुरू–560089	lnL;
6.	डॉ. बी. बेरा अनुसंधान निदेशक चाय बोर्ड 14, बी टी एम सारणी कोलकाता–700 001	lnL;
7.	डॉ. एच.एस.गिनवाल वैज्ञानिक ई तथा अध्यक्ष आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रवर्धन संभाग वन अनुसंधान संस्थान पो.आ. आईपीई, कोलागढ़ रोड देहरादून–248195	lnL;
8.	डॉ. एस.के.शर्मा निदेशक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा, नई दिल्ली–110012	lnL;

9.	डॉ. टी. जानकीराम अध्यक्ष पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा नई दिल्ली–110012	l nL;
10.	डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) गेहूं अनुसंधान निदेशालय पो.बा.सं.158, अग्रसेन मार्ग करनाल–132001	l nL;
11.	डॉ. एस.के.त्रिपाठी उपाध्यक्ष एनएसएल. प्रा.लि. 905, कंचनचंगा बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	l nL;
12.	श्री भगवान दास निदेशक यंग फार्मर्स एसोसिएशन पंजाब 1, श्रीहिंद रोड, गवर्नमेंट प्रेस के सामने पटियाला (पंजाब)– 147004	l nL;
13.	डॉ. मनोज श्रीवास्तव पंजीकार– II पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली–110012	l nL; & l fpo

dk;Øe] fu;kt u ,oa uhfr lfefr

1.	सुश्री राधा सिंह पूर्व सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग सी–2/32, तिलक लेन नई दिल्ली–110001	v/;{k
2.	डॉ. पी.एल.गौतम अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण 475, नौवां साउथ क्रॉस स्ट्रीट, कपालीस्वरार नगर नीलनकरई, चैन्नई–600041	l nL;
3.	सुश्री उपमा चौधरी, आईएएस संयुक्त सचिव (बीज) कृषि मंत्रालय (डीओएसी), कृषि भवन नई दिल्ली	l nL;
4.	श्री मनोज कुमार सिंह, आईएएस आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन जवाहर भवन, लखनऊ	l nL;
5.	श्री एस.के.रूंग्टा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बीज भवन, पूसा कैम्पस नई दिल्ली–110012	l nL;
6.	डॉ. पी.एस.मिन्हास अनुसंधान निदेशक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय फिरोजपुर मार्ग, लुधियाना–141004	l nL;
7.	डॉ. एस.आर.राव सलाहकार जैवप्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ब्लॉक–2, सीजीओ काम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	l nL;
8.	डॉ. टी. रामाकृष्णन अपर प्राध्यापक – विधि एवं समन्वयक बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र, अनुसंधान एवं एडवोकेसी आईपीआर पीठ, भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ विश्वविद्यालय नगरभवी, पो.बा. 7201, बंगलुरू–560072	l nL;

9.	डॉ. मनमोहन अट्टावर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंडो–अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (इंडिया) प्रा.लि. 17वीं क्रॉस, द्वितीय ए मेन, बीएसके सैकंड स्टेज बंगलुरू–560 070	l nL ;
10.	डॉ. आर.के.गुप्ता अध्यक्ष बौद्धिक संपदा प्रबंध प्रभाग वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद निस्केयर भवन, तृतीय तल, 14 सत्संग विहार मार्ग स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110067	l nL ;
11.	डॉ. नजीर अहमद निदेशक केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान के.डी.फार्म, ओल्ड एयर फील्ड, रंगरेथ श्रीनगर – 190007 (जम्मू एवं कश्मीर)	l nL ;
12.	निदेशक राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केन्द्र पो.बा. नं.11305 डीपीएस मार्ग, पूसा लाइब्रेरी एवेन्यू नई दिल्ली–110012	l nL ;
13.	डॉ. एस.के.शर्मा निदेशक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा कैम्पस, नई दिल्ली–110012	l nL ;
14.	डॉ. एस.एडीसन पूव निदेशक, सीटीसीआरआई श्रीनिधि, टीसी नं. 13/550 केशवदासपुरम पत्तोम पो.आ. तिरूअनंतपुरम–695004	l nL ;
15.	डॉ. एन.कृष्णकुमार, आईएफएस निदेशक वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान पो.बा.नं. 1061, फोरेस्ट कैम्पस आर.एस.पुरम, कोयम्बत्तूर–641002	l nL ;
16.	डॉ. पी.के.सिंह पंजीकार– III पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली–110012	l nL ; & l fpo

ifj;kt uk eY;kdu lfefr

1.	डॉ. बी.एल.जलाली पूर्व निदेशक (अनुसंधान), एचएयू 601, नीलकांत सैक्टर–21सी, पार्ट–3 फरीदाबाद–121001	v/;{k
2.	डॉ. एस. मौर्या सहायक महानिदेशक (बौद्धिक संपदा अधिकार एवं नीति) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन नई दिल्ली	lnL;
3.	डॉ. वी.ए.पार्थसारथी निदेशक भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान मरिकुन्नू पो.आ. कालीकट–673012	lnL;
4.	डॉ. राजबीर यादव प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली	lnL;
5.	डॉ. पी.के.सिंह पंजीकार– III पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली–110012	lnL; lfpo

lkfof/kd lfefr
fo|eku fdLe lLrfr lfefr

1.	प्रो. आर.बी.सिंह रिटार्यड चैयरमैन ए.एस.आर.बी. डी1/1291, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	v/;{k
2.	डॉ. जी. कल्लू कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004	lnL;
3.	डॉ. एस.के.राव अध्यक्ष, पादप प्रजनन, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004	lnL;
4.	डॉ. बी.एम. प्रसन्ना आनुवंशिकी संभाग, लाल बहादुर शास्त्री भवन, भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली–110012	lnL;
5.	डॉ. एफ.बी.पाटिल कृतिमान भवन, प्लॉट नं.19, गोविंद नगर, आरटीओ स्टेशन रोड, औरंगाबाद–431 005	lnL;
6.	श्री मानवेन्द्र एस. कचोले अध्यक्ष, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, शेतकारी संगठन, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद– 431005	lnL;
7.	श्री आर.के.त्रिवेदी पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वितीय तल, एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग नई दिल्ली–110012	lnL;&lfpo

vuqca/k 6

mu d"kd fdLeksa ds fof'k"V xq.k ftUgsa iathdj.k izek.k&i= tkjh fd, x,

Øa- la-	Js.kh	vkosnd	izekf.kr	Qly	uke	fof'k"V xq.k
1	कृषक किस्म	श्री इंद्रासन सिंह, ग्राम इंदरापुर, पोस्ट प्रतापपुर, तहसील किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	डॉ. एच.एस.चावला, नोडल अधिकारी, बौद्धिक सम्पदा प्रबंध केंद्र, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय, जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर, उत्तराखंड	चावल (*ओराइजा सटाइवा* एल.)	इंद्रासन	आंशिक रूप से बाहर निकले पुष्पगुच्छ युक्त समरूप बैंगनी रंग का आधार पत्ती आच्छद और साथ ही मध्यम परिपक्वता शूक रहित पुष्पगुच्छ, छिले हुए दाने की मध्यम लंबाई और चौड़ाई और भ्रूणपोष में मध्यम एमाइलोज अंश
2		श्री अरूण कुमार, अध्यक्ष, ऋषि प्रसार जैविक कृषि शोध समिति, गांव चकरपुर, ब्लॉक बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	यथा	चावल (ओराइजा सटाइवा एल.)	हंसराज	शूक रहित पुष्पगुच्छ युक्त सफेद रंग का छिला हुआ दाना साथ ही बहुत छोटा तना, सकारात्मक फिनॉल प्रतिकिया, छिला हुआ दाना लंबा और पतला जिसकी चौड़ाई संकरी होती है और यह चावल सुगंधित है।
3		श्री देव नाथ वर्मा, अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी जैविल कृषक समिति, गांव प्रेम नगर, गदरपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	यथा	चावल (ओराइजा सटाइवा एल.)	तिलक चंदन	हरे रंग के आधार वाला पत्राच्छद, पत्ती पर एंथोसियानिन रंग, पालि रंगहीन, पत्ती पर स्कंद उपस्थित, भूसे जैसे रंग की वंध्य प्रमेयिका, मध्यम चौड़ा दाना जो मध्यम पतला होता है। छिला हुआ दाना मध्यम लंबी व पतली आकृति वाला तथा सुगंधित होता है।

vuqc/k 7
iks/kk fdLe vkSj d"kd vf/kdkj laj{k.k izkf/kdj.k
rqyu i= 31 ekpZ 2010 dks vuqlkj

राशि (रुपये में)

lex@iwath fuf/k rFkk ns;rk,a	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
समग्र/पूंजी निधि	4,57,82,375.05	4,79,82,820.70
संचयी एवं अतिरिक्त	-	-
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारी	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारी	-	-
आस्थगित नामे देयताएं	-	-
चालू देयताएं तथा प्रावधान	75,25,181.00	46,45,978.00
dqy	**5,33,07,556.05**	**5,26,28,798.70**
ifjlEifÙk;ka		
स्थायी परिसम्पत्तियां	1,38,57,975.00	56,53,891.00
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास	(83,59,243.65)	(24,97,135.00)
निवल अचल परिसम्पत्तियां	54,98,731.35	31,56,756.00
निवेश – उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	-	-
निवेश अन्य	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण पेशगियां आदि	4,78,08,824.70	4,94,72,042.70
विविध व्यय	-	-
उस सीमा तक जहां बट्टे खाते में न डाला जाए या समायोजित न किया जाए		
(आकस्मिक देयताएं तथा लेखा टिप्पणियां)		
dqy	**5,33,07,556.05**	**5,26,28,798.70**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		

31 ekpZ 2010 dks lekIr o"kZ dk vk; o O;; dk ys[kk

राशि (रुपये में)

vk;	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ
बिक्री / सेवाओं से आय	-	-
सहायता / अनुदान	5,36,00,000.00	7,00,00,000.00
शुल्क / अंशदान	23,23,044.00	2,84,700.00
निवेशों से आय	-	-
स्वत्वाधिकार, प्रकाशनों आदि से आय	-	-
अर्जित ब्याज	1,77,502.00	6,05,313.00
अन्य आय	4,42,451.00	2,43,750.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी और चल रहे कार्य	-	-
dqy ¼d½	**5,65,42,997.00**	**7,11,33,763.00**
O;;		
स्थापना व्यय	1,68,27,003.00	1,18,89,074.30
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	1,18,32,172.00	1,06,57,433.00
अनुदानों, सहायताओं पर व्यय आदि	2,30,77,253.00	85,37,209.00
ब्याज	12,526.00	8,085.00
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुसार सम्बद्ध वर्षांत में निवल योग)	58,62,108.65	9,35,574.00
पूर्वावधि समायोजन लेखा	21,89,935.00	9,74,787.00
dqy ¼[k½	**5,98,00,997.65**	**3,30,02,162.30**
O;; dh rqyuk esa vk; dh vfrfjDr jkf'k dk 'ks"k ¼d&[k½	**(32,58,000.65)**	**3,81,31,600.70**
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरित (अलग–अलग बताएं)	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को / से हस्तांतरित	-	-
lexz@iwath fuf/k esa vkxs ykbZ xbZ 'ks"k vfrfjDr jkf'k ¼?kkVs dh jkf'k½	**(32,58,000.65)**	**3,81,31,600.70**
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		

ikfIr;k ,o vnk;fx;k
31 ekpZ 2010 dk lekIr o"kZ dk vuqlkj ¼vys[kkifjf{kr½

राशि (रुपयों में)

ikfIr;k		pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	vnk;fx;k		pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1- vkfn 'k"k				1- O;;			
क) वर्तमान में नकद राशि		5,300.00	5,000.00	क) स्थापना व्यय	1,36,23,163.00		
ख) बैंक में जमा राशि				ख) प्रशासनिक व्यय	1,10,61,686.00	2,46,84,849.00	1,94,35,778.30
जीन निधि	56,01,998.00						
प्राधिकरण निधि	1,82,34,625.70	2,38,36,623.70	62,62,049.00				
2- ikIr vuqnku				2- fofHkUu ifj;kstukvksa dh		2,82,18,738.00	2,76,55,152.00
क) भारत सरकार से		5,36,00,000.00	7,00,00,000.00	fuf/k;ksa ds fy, dh xbZ vnk;fx;k			
ख) राज्य सरकार से		-	-				
ग) अन्य स्रोतों से		-	-				
3- fuos'k ls gbZ vk;				3- fuos'k rFkk tek djkbZ xbZ jkf'k			
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि		-	-	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि से		-	-
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)		-	-	ख) अपनी निधियों से (निवेश–अन्य)		-	-
4- ikIr C;kt				4- vpy lEifÙk;ksa rFkk iwath			
क) बैंक में जमा राशि		-	-	vkj pkyw dk;ksa ij O;;			
ख) ऋण, अग्रिम आदि				क) अचल परिसम्पत्तियों की खरीद (अनु.8)		24,77,265.00	5,29,019.00
जीन निधि	1,100.00						
प्राधिकरण निधि		1,100.00	6,04,986.00	(ख) पूंजीगत चालू कार्य में व्यय		-	-
5- ikIr vfxze jkf'k		94,974.00	43,284.00	5- vfrfjDr /ku@_.kksa dh okilh			
				ख) राज्य सरकार को		-	-
				ग) अन्य निधि उपलब्धकर्ताओं को		-	-

6- vk; dj dh okilh			21,187.00				
				6- okg; , tsfl ;ks dks nh xbZ vfxze jkf'k		38,38,436.00	64,76,388.00
7- ckgjh , tsfl ;ks ¼foØsrkvks½ dks nh xbZ vfxze jkf'k dh olwyh		76,609.00	1,29,186.00	7- Mh;q,l ijh{k.k 'kqYd ds fy, nh xbZ vfxze jkf'k		6,51,000.00	4,32,250.00
8- 'kqYd@vfHkknku				8- ekStwn LVEi ls		1,75,000.00	75,000.00
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क		22,29,400.00	2,84,700.00				
पीवेजे शुल्क		57,800.00	19,800.00				
विरोध के लिए सूचना शुल्क		43,500.00	-				
वार्षिक शुल्क – जीन निधि		18,000.00	-	9- Mhvkl h dk okil		45,22,738.00	
पुराने समाचार पत्रों की बिक्री		500.00					
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क		19,60,000.00	17,85,000.00	10- lxBuk@lLFkkvksa dks ;ksxnku		17,45,102.00	
प्राप्त अन्य शुल्क		2,844.00	-				
				11- cSad }kjk xyrh ls uker		16,753.00	
9- LFkk;h tek dh ifjiDork		-	1,00,00,000.00				
10- Mhvkl h dk nsq;		57,91,128.00	-	12- LVkQ dks iqjLdkj vkfn dk Hkqxrku		13,50,394.00	3,95,404.00
11- LVkQ dks nh xbZ vfxze jkf'k dh olwyh		4,14,668.00	69,292.00	13- foRrh; iHkkj ¼C;kt½		12,526.00	8,085.00
12- cSad es vkfn'k"k jkf'k dk vUrj		78,938.00	-	14- iwaxr vfxzeks ds fo#) vnk;xh		87,058.00	25,000.00
13- ekStwn fVdVks ds :i es iwf'kfx;ks dh olwyh		1,818.00	2,415.00	15- lkof/kd tek jkf'k		1,05,93,574.00	1,00,00,000.00
14- cSad }kjk xyr uker		10,000.00	-	16- fo/kk;h nsu;rkvks dk Hkqxrku		31,02,539.00	3,52,899.00
				17- 'ks"k jkf'k			
				क) मौजूदा नगद राशि		5,300.00	5,300.00
				ख) बैंक बैलेंस		67,41,930.70	2,38,36,623.70
dqy ;ksx		**8,82,23,202.70**	**8,92,26,899.00**	**dqy ;ksx**		**8,82,23,202.70**	**8,92,26,899.00**

LVkQ lekpkj

iqjLdkj ,oa lEeku

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एस.नागराजन को श्री के.रोसैया, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने 15.11.2009 को हैदराबाद में सर्वश्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक के लिए प्रतिष्ठित डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया।

inHkkj xzg.k

- श्री आर.आर.प्रधान ने दि0 16.04.2009 को सीधी भर्ती द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में विधि सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने दि0 24.04.2009 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से आकर प्रतिनियुक्ति के आधार पर रजिस्ट्रार, (बागवानी) का कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. पी.के.सिंह ने दि0 14.05.2009 को आईआईएसआर (भा.कृ.अ.प.), लखनऊ से प्रतिनियुक्त आधार पर रजिस्ट्रार (वानिकी, एम एंड एपी एवं कृषक अधिकार) का कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. ए.के.मल्होत्रा, आईएफएस ने अपने मूल कैडर, झारखंड सरकार से आकर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 28.08.2009 को महा पंजीकार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. एस.पी.यादव ने 01.01.2010 को ठेके के आधार पर पौधा किस्म मूल्यांकनकर्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- डॉ. अमित दीक्षित ने 10.12.2009 को ठेके के आधार पर पौधा किस्म मूल्यांकनकर्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- श्री अमीर उल्ला सिद्दीकी ने 12.6.2009 को सीधी भर्ती के माध्यम से कम्प्यूटर सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

inHkkj eqfDr

- श्री प्रेम नारायण, आईएएस, को महा पंजीकार के रूप में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अपने मूल कैडर में पदभार ग्रहण करने के लिए 12.06.2009 को कार्यमुक्त किया गया।
- सुश्री पूजा सेठी ने कम्पयूटर सहायक पद से त्याग पत्र दिया और उन्हें दि0 05.11.2009 को कार्यमुक्त किया गया।
- डॉ. ओम प्रकाश, पीवीई को प्राधिकरण ने ठेके पर सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात 28.01.2010 को कार्यमुक्त किया गया।